।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 11.04.2019, 12.04.2019 एवं 15.04.2019 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक दिनांक 11.04.2019 एवं निर्देशानुसार दिनांक 12.04.2019 तथा 15.04.2019 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1. श्री रूपिन्दर सिंघ — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार–प्रथम
   राजस्थान, जयपुर।

2. श्री विक्रम सिंह — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार–द्वितीय
   राजस्थान, जयपुर।

3. श्री सत्यपाल जांगिड़, — सदस्य
   सहायक निदेशक,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

बैठक में कुल 650 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनमें निम्नलिखित दण्डित बंदियों को वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रम में आने के उपरान्त भी निम्न वर्णित कारणों से खुला बंदी शिविर हेतु चयनित नहीं किया गया है :–

1. कृष्णलाल पुत्र गोपीराम, के.का. बीकानेर :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 33 वर्ष 02 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

उक्त बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 हनुमानगढ़ द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 62/1987 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 21.03.1995 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 1 हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 27/1993 अंतर्गत धारा 302/149, 120बी, 307/149, 120बी, 148 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. मर्डर रेफरेंस नं. 1/1997 डी.बी. क्रिमिनल अपील नं. 574/97, 575/1997 में निर्णय दिनांक 13.11.98 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मृत्युदण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डी.बी. क्रिमिनल अपील नं. 812–14, 815–16, 819–20, 817–18, 821–22, 980, 1017/1999 एवं 298/2001 निर्णय दिनांक 29.03.2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए आदेश दिये थे कि " We are inclined to hold that for him the imprisonment for life shall be the imprisonment in prison for the rest of his life. He shall not be entitled to any commutation or premature release under section 401 of the code of criminal Procedure, Prisoners Act, Jail Manual or any other statute and the Rules made for the purposes of grant of commutation and remissions."

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कृष्णलाल पुत्र गोपीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. **रामलाल पुत्र कान्हा, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 28 वर्ष 09 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार एवं मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामलाल पुत्र कान्हा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. **हरदयाल पुत्र शिवलाल, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 25 वर्ष 10 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् अपर सैशन न्यायाधीश, किशनगढ़ के प्रकरण संख्या 14/99 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 23.06.2000 को आजीवन कारावास।

2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्र.व. किशनगढ़ के प्रकरण संख्या 45/98 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 25.07.2000 को 01 वर्ष 10 माह 25 दिवस कठोर कारावास।

3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्र.व. किशनगढ़ के प्रकरण संख्या 42/98 अंतर्गत धारा 447, 323, 325 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2000 को 01 वर्ष 11 माह 27 दिवस कठोर कारावास।

इस प्रकार बंदी दो से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित है तथा बंदी लाचार एवं मानसिक रोगी है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) (झ) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा सजावधि में आदिनांक तक नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरदयाल पुत्र शिवलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. **अनवर पुत्र रमजानी, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 25 वर्ष 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी कोटा के प्रकरण संख्या 143/1998 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.11.1998 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 05 कोटा के प्रकरण संख्या 17/1999 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.11.2000 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद के प्रकरण संख्या 371/1997 अंतर्गत धारा 458, 384, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 04.01.2003 को 04.01.2003 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
4. माननीय एम.जे.एम. विजयनगर जिला श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 29.08.2016 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
5. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, डकैती एवं अपहरण प्र.क्षेत्र श्योपुर के प्रकरण संख्या 35/2015 अंतर्गत धारा 307, 506 भाग–2 आई.पी.सी. में दिनांक 12.01.2017 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

6. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास कोटा के प्रकरण संख्या 46/2015 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.11.1998 को आजीवन कारावास।

7. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद कोटा के प्रकरण संख्या 113/2015 अंतर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.01.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 19.09.2014 को उपस्थिति के दौरान अनुपस्थित पाया गया। जिसको तलाश करने पर बंदी के नहीं पाये जाने से फरारी की सूचना जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 294 दिनांक 20.09.2014 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई। बंदी को दिनांक 30.10.2015 को उप कारागृह, सूरतगढ़ में दाखिल करवाया गया। बंदी को माननीय सी.जे. एवं जे.एम. श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर) द्वारा प्रकरण संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में एक वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी सजा दिनांक 28.10.2016 को समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के विरूद्ध 04 अन्य प्रकरण विचाराधीन बताये है।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में निरूद्धीकरण के दौरान बंदी ने दिनांक 19.04.2018 को एक अन्य बंदी की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना समाज हित में नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अनवर पुत्र रमजानी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. **शंभुसिंह पुत्र देवराजसिंह, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 24 वर्ष 09 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी व लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंभुसिंह पुत्र देवराजसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. **नन्दजीराम पुत्र मथुरालाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 24 वर्ष 04 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी एवं लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी द्वारा आपात/नियमित पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नन्दजीराम पुत्र मथुरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

7. **लाली देवी पत्नी छैलूराम, के.का. बीकानेर** :– महिला बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 22 वर्ष 11 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

महिला बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है एवं राज्य सरकार के पत्रांक प. 7 (78) गृह–12/कारा/2015 दिनांक 29.09.2015 द्वारा स्थाई पैरोल स्वीकृत की जा चुकी है राज्य सरकार के आदेशानुसार महिला बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **महिला बंदी लाली देवी पत्नी छैलूराम** को बंदी खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

8. **कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 22 वर्ष 06 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी दिनांक 30.07.2012 को, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से रोलकॉल में उपस्थित न होकर फरार हो गया, जिसे दिनांक 03.08.2012 को पुलिस थाना सांगानेर (जयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 19.03.2016 को बंदी खुला शिविर, टोंक से रोलकॉल में उपस्थित न होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली टोंक में एफ.आई.आर. संख्या 114/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज कराया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान

कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। बंदी पूर्व में 02 बार बंदी खुला शिविर से फरार हो चुका है, ऐसी स्थिति में बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

9. **पप्पू उर्फ सलीम पुत्र सकूर खां, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 21 वर्ष 11 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी समलेटी बमकाण्ड में सजायाफ्ता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पप्पू उर्फ सलीम पुत्र सकूर खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

10. **कावा पुत्र सवा, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 21 वर्ष 08 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी द्वारा आपात/नियमित पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कावा पुत्र सवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

11. **जेठाराम पुत्र नेमाराम, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 21 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी दिनांक 06.01.2015 को बंदी खुला शिविर, सांगानेर से फरार हो गया था जिसे दिनांक 14.01.2015 को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा जेल दाखिल कराया गया। जिस पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी संख्या 28/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी. सी. में दर्ज कराई गई। जिसमें अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 20 सांगानेर जयपुर के

प्रकरण संख्या 754/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 22.05.2015 को 04 माह 10 दिवस साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जेठाराम पुत्र नेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

12. **पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 21 वर्ष 02 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 22/2002 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 27.08.2002 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर के प्रकरण संख्या 228/2013 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 25.05.2015 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर के प्रकरण संख्या 15/2013 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 12.02.2018 को आजीवन कारावास।

बंदी खुला शिविर, जैतसर में दिनांक 29.06.2013 को प्रहरी श्री किशनलाल की हत्या हो जाने पर बंदियों की गिनती कराने पर बंदी पृथ्वीराज बंदी खुला शिविर से फरार मिला, जो पुनः गिरफ्तार होकर उप कारागृह, सूरतगढ़ के मार्फत दिनांक 05.08.2013 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर को प्राप्त हुआ।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

13. **रामेसर उर्फ रामेसरलाल पुत्र मांगीलाल, जि.का. टोंक** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 20 वर्ष 09 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (8) गृह–12/कारा/2019 दिनांक 08.02.2019 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामेसर उर्फ रामेसरलाल पुत्र मांगीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

14. **शिवलाल पुत्र इन्द्रभगत, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 20 वर्ष 09 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 80 वर्ष होने व लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवलाल पुत्र इन्द्रभगत** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

15. **नारायण पुत्र कालीया, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 20 वर्ष 02 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, केशवाना जालोर में सजा भुगत रहा था, बंदी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खुला बंदी शिविर में कार्य करने में असमर्थ होने पर जेल दाखिल कराया गया था, के कारण अधीक्षक जेल, उदयपुर ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी मानसिक रोगी है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नारायण पुत्र कालीया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

16. **अजीज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 19 वर्ष 11 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक दिनांक 18.03.2019 में बंदी के प्रकरण पर विचार कर समिति द्वारा स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

17. **लालचंद उर्फ लालिया पुत्र राजू उर्फ कचरूमल डूम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 19 वर्ष 11 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 28/2003 अंतर्गत धारा 302, 148, 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. क्रिमि. मर्डर रेफरेंस नं. 1/2003 एवं डी.बी. क्रिमिनल जेल अपील नं. 698/2003 तथा डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 744/2003 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2003 को अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया। बंदी की एस.एल.पी. क्रिमिनल (अपील) संख्या 4695–4696/2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2004 के द्वारा खारिज की जाकर सजा यथाबत रखी गई।

बंदी की दया याचिका गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ.नं. 14/4/2004 ज्यूडिशियल सेल दिनांक 08.05.2012 के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान की धारा 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ परिवर्तित किया है कि बंदी जीवन पर्यन्त जेल में रहेगा तथा इसकी सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धारा 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में दण्डित है, के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालचंद उर्फ लालिया पुत्र राजू उर्फ कचरूमल डूम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

18. **रमेश चंद पुत्र रामचन्द्र बैरागी, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 19 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (86) गृह–12/कारा/2018 दिनांक 11.01.2019 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश चंद पुत्र रामचन्द्र बैरागी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

19. **राजूदास पुत्र मंसादास, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 19 वर्ष 05 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, मण्डौर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी ने अधीक्षक जेल के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खेती–बाड़ी का काम करने में पूर्णतः असमर्थ बताने के कारण इसे दिनांक 03.09.2017 को जेल दाखिल कराया गया था। अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में खुला शिविर में कार्य करने से मना करने के फलस्वरूप उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजूदास पुत्र मंसादास** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

20. **मुकेश हरिजन पुत्र छोटूलाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 11 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है तथा बंदी के माह जून, 2017 से मार्च, 2018 तक जेल उद्योगशाला में निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को अनुपस्थित अवधि के रेमीशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश हरिजन पुत्र छोटूलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

21. **मोहरसिंह उर्फ भोला पुत्र गोकुलसिंह, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 10 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी व लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहरसिंह उर्फ भोला पुत्र गोकुलसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

22. **धन्नालाल पुत्र भूरालाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 10 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 73 वर्ष होने व मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धन्नालाल पुत्र भूरालाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

23. **प्रभुलाल पुत्र बलदेवा, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभुलाल पुत्र बलदेवा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

24. **कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र काशीराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 03 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र काशीराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

25. **नारायणसिंह पुत्र पूनमासिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 02 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 27.08.2018 को अन्य बंदियों के साथ शराब पीकर लड़ाई–झगड़ा करने, गाली–गलौच करने, प्रभारी व गेट पर अन्य स्टाफ के साथ अभद्रता करने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर में प्राथमिकी दर्ज कराने पर बंदी को गिरफ्तार कर श्रीमान् एस.डी.एम. बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाने पर बंदी को कदाचार के कारण पुनः जेल दाखिल कराया गया है, इस प्रकार बंदी का आचरण संतोषप्रद नहीं है तथा बंदी द्वारा कारित घटना को दो वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नारायणसिंह पुत्र पूनमासिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

26. **चूचू उर्फ भगवानसिंह पुत्र अतरसिंह उर्फ कालीचरण, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चूचू उर्फ भगवानसिंह पुत्र अतरसिंह उर्फ कालीचरण** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

27. **नाहरसिंह पुत्र मोड़सिंह उर्फ मोड़िया, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 18 वर्ष 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 396, 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नाहरसिंह पुत्र मोड़सिंह उर्फ मोड़िया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

28. **चन्द्रप्रकाश पुत्र रामचन्द्र, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 10 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 31.03.2018 को प्रशासनिक कारणों से बंदी खुला शिविर, मण्डौर से जेल दाखिल कराया गया था, इस प्रकार बंदी का आचरण संतोषप्रद नहीं है, बंदी को जेल दाखिल किये हुए अभी 02 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चन्द्रप्रकाश पुत्र रामचन्द्र** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

29. **सुखदेव पुत्र श्योजीराम, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 10 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुखदेव पुत्र श्योजीराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

30. **गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 08 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (46) गृह–12/कारा/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

31. **सियाराम पुत्र लोडक्या, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (87) गृह–12/कारा/2018 दिनांक 24.01.2019 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सियाराम पुत्र लोडक्या** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

32. **अशोकसिंह पुत्र कल्लन प्रसाद, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 08 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (3) गृह–12/कारा/2019 दिनांक 01.02.2019 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोकसिंह पुत्र कल्लन प्रसाद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

33. **मोहन पुत्र रूपा, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 08 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी के परिजनों द्वारा भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु असहमति दी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन पुत्र रूपा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

34. **सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 08.02.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

35. **सम्पतराज पुत्र गोपाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 05 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सम्पतराज पुत्र गोपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

36. **बाबूलाल पुत्र शंभूलाल, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 04 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, जिसे दिनांक 19.02.2018 को कदाचार (प्रायः ड्यूटी स्टाफ व अन्य बंदियों के साथ गाली–गलौच करने व उसकी पत्नी द्वारा बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने, अन्य बंदी के गन्ने से भरे लोडिंग टेम्पो में आग लगा देने एवं स्थाई पैरोल पर रिहा हुए अन्य बंदी द्वारा क्वार्टर खाली नहीं करने के कारण भूख हड़ताल की धमकी देने) करने के कारण थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर जयपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व के प्रकरण संख्या 193/2018 अंतर्गत धारा 151, 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिनांक 20.02.2018 को जेल दाखिल कराया गया था, इस प्रकार बंदी का खुला शिविर में आचरण संतोषप्रद नहीं है।

बंदी के उक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है तथा उक्त घटना को अभी 02 वर्ष की अवधि भी व्यतीत नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबूलाल पुत्र शंभूलाल** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

37. **काशीराम उर्फ सूरजमल पुत्र देवीलाल, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी दिनांक 23.09.2015 को खुला शिविर, सांगानेर पर सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 1221/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 26.09.2015 को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा जरिये जेसी वारंट जेल दाखिल कराया गया। माननीय ए.सी.जे.एम. क्रम 20 जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण

संख्या 1221/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 22.10.2016 को एक वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया व नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। खुला बंदी शिविर से फरार होने के कारण पुनः खुला शिविर में भेजने पर फरारी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी काशीराम उर्फ सूरजमल पुत्र देवीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

38. **मेजरसिंह पुत्र पूर्णसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 02 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय ए.डी.जे. संख्या 01 हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 116/1992 अंतर्गत धारा 302, 449 आई.पी.सी. व 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 18.01.1994 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.एस.जे. मानसा के प्रकरण संख्या 157/2012 अंतर्गत धारा 15 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 10.05.2013 को 03 माह कठोर कारावास।
3. माननीय जे.एम. प्रथम वर्ग, श्रीविजयनगर के प्रकरण संख्या 67/2002 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2013 को 03 माह 06 दिवस साधारण कारावास।

बंदी पूर्व में दिनांक 05.07.2000 को बंदी खुला शिविर, जैतसर से प्रातः उपस्थिति के दौरान फरार हो गया, जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 192/06.07.2000 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उप कारागृह, सूरतगढ़ में जेल दाखिल करवाये जाने से दिनांक 26.08.2013 को सजा भुगतने हेतु के.का. श्रीगंगानगर में प्रविष्ठ कराया गया। इन कारणों से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मेजरसिंह पुत्र पूर्णसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

39. **जग्गा उर्फ जसवीरसिंह पुत्र गुरचरणसिंह, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 02 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जग्गा उर्फ जसवीरसिंह पुत्र गुरचरणसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

40. **पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 11 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी वर्ष 2006 में बाद पेशी उदयपुर से बीकानेर जाते समय दिनांक 20.08.2006 को पुलिस अभिरक्षा से चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया, जिसे दिनांक 02.10.2006 को जिला कारागृह, चित्तौड़गढ़ से सजा भुगतने हेतु जेल दाखिल कराया गया।

वर्ष 2008 में पेशी पर उदयपुर जाते समय दिनांक 12.02.2008 को पुलिस गार्ड को नशीला पदार्थ खिलाकर ट्रेन से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.08.2010 को केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में दाखिल कराया गया, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग) के तहत साधारणतया खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

41. **मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 11 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, प्रतापगढ़ से दिनांक 09.05.2016 से दिनांक 09.08.2017 तक फरार रहा है, इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

42. **राजू भील पुत्र कस्तुरा, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 10 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 13.10.2006 को अन्य विचाराधीन प्रकरण संख्या 370/2006 में श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, संख्या 02 ब्यावर के समक्ष तारीख पेशी भुगताने हेतु भिजवाया गया, जहां से लौटते समय रोडवेज बस डिपो के बाहर चालानी गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया। जिसे पुनः दिनांक 01.03.2007 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू भील पुत्र कस्तुरा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

43. **अल्लू उर्फ अलीम पुत्र अजीज खां, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) नं. 01 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 68/2003 अंतर्गत धारा 302, 324 आई.पी.सी. में दिनांक 24.07.2003 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 520/2001 अंतर्गत धारा 324 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.11.2004 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 318/2005 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 01.09.2005 को 06 माह साधारण कारावास।
4. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. संख्या 5 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 376/2005 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.09.05 को एक वर्ष साधारण कारावास।
5. श्रीमान् मुख्य न्यायाधीश, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 353/2003 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.03.2017 को 06 माह साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 07.12.2017 को सांय 5.15 बजे से 5.45 बजे तक उप अधीक्षक की मौजूदगी में स्टाफ द्वारा वार्ड नं. 15 की तलाशी लेने पर बंदी के पास एक मोबाईल मय सिम व बैट्री बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 03 दिवस रेमीशन जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अनुसार खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा बंदी एक अन्य प्रकरण में भी वांछित है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अल्लू उर्फ अलीम पुत्र अजीज खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

44. **दुर्गाशंकर पुत्र चौथमल धाकड़, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 09 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गाशंकर पुत्र चौथमल धाकड़** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

45. **लखमा पुत्र भीमा, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 08 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेशानुसार 07 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 18.03.2019 को रिहा कर दिनांक 24.03.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया तथा वर्तमान में बंदी पैरोल से फरार चल रहा है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लखमा पुत्र भीमा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

46. **राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 05 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया व नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

47. **बहादुरसिंह उर्फ राजबहादुर पुत्र बन्नेसिंह, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 05 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बहादुरसिंह उर्फ राजबहादुर पुत्र बन्नेसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

48. **रावताराम पुत्र जोमा जी, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रावताराम पुत्र जोमा जी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

49. **सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 04 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 460/34, 302/34 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा अपनी मृत्यु तक काटेगा, के दण्ड से दण्डित होने से बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर उसके खुला शिविर से फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

साथ ही बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुखदीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

50. **धोलू उर्फ प्रेमचंद पुत्र मूंगाराम, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 03 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.08.2015 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के खुला शिविर प्रकरण पर विचार कर बंदी के मानसिक रोगी होने से भाई द्वारा देखभाल करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर खुला शिविर, झुंझुंनू में भेजा गया था, किंतु बंदी के परिजनो द्वारा खुला शिविर में उसे नहीं संभाला गया, के दृष्टिगत बंदी को जेल दाखिल किया गया था वर्तमान में बंदी मानसिक रोग का उपचार ले रहा है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धोलू उर्फ प्रेमचंद पुत्र मूंगाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

51. **ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 02 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 04.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर, खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना–सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 1054/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई। बंदी को माननीय ए.सी.जे.एम. 20 सांगानेर जयपुर महानगर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 1054/2018 पुलिस थाना सांगानेर द्वारा अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 15.11.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान

कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

52. **बलबीर पुत्र रामेश्वर, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष 01 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 06.03.2009 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 25.03.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 4751/2010 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) संख्या 04 जयपुर शहर द्वारा बंदी को एक वर्ष के कारावास व 200/– जुर्माना अ.अ. 07 दिवस के कारावास से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 19.09.2016 को प्रातः रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। पुलिस थाना, बीछवाल बीकानेर द्वारा दिनांक 22.10.2016 को गिरफ्तार कर मय जे.सी. वारंट के जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलबीर पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

53. **नूरा पत्नी रफीक, के.का. श्रीगंगानगर** :– महिला बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 16 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 08.02.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा महिला बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **महिला बंदी नूरा पत्नी रफीक** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

54. **राकेश पुत्र घासीराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 11 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01 जोधपुर के आदेशानुसार दिनांक 10.08.2009 को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 25.08.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे दिनांक 28.08.2009 को अन्य प्रकरण 109 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 09.04.2013 को रिहा कर दिनांक 28.04.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु नियत तिथि को बंदी जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना बासनी द्वारा गिरफ्तार कर जे.एम. नं. 4 जोधपुर के सी.आर. नं. 124 दिनांक 25.05.2013 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. के अंतर्गत गिरफ्तार कर दिनांक 30.05.2013 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत खुला शिविर साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र घासीराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

55. **शंकरलाल पुत्र गणेशलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 11 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 87 वर्ष होने व लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है एवं बंदी ने स्वेच्छा से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने हेतु निवेदन किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र गणेशलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

56. **राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र पालाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 10 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चूरू के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 01.09.2010 को 15 अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 16.09.2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व कारागृह पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु नियत तिथि को बंदी जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी दिनांक 20.05.2011 को पुनः जेल दाखिल कराया गया।

बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 23.03.2016 को सायंकाल हाजिरी में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, जिसे अन्य प्रकरण में दिनांक 24.04.2016 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा अन्य बंदियों के साथ मिलकर दण्डित बंदी आमीन खान पुत्र यासीन खान से मारपीट की तथा उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 28.11.2018 को 10 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र पालाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

57. **राजमल पुत्र रामचन्द्र, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 09 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है एवं बंदी के परिजनों द्वारा बंदी की खुला शिविर में भेजे जाने पर देख–रेख करने की जिम्मेदारी से मना किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजमल पुत्र रामचन्द्र** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

58. **सत्यनारायण मेघवाल पुत्र घासीलाल, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 09 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 07.05.2016 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 400/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवाई गई। पुलिस थाना सांगानेर द्वारा दिनांक 15.05.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी ने माह नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 तक जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य से कम कार्य किया है तथा माह अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 तक आवंटित कार्य नहीं किया गया है। इस कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सत्यनारायण मेघवाल पुत्र घासीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

59. **शंकर पुत्र किशनलाल, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकर पुत्र किशनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

60. **कारू उर्फ कालू पुत्र लाभचंद, के.का. उदयपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कारू उर्फ कालू पुत्र लाभचंद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

61. **राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र सुखाराम प्रजापत, के.का. जोधपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 07 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र सुखाराम** प्रजापत को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

62. **चंचल पत्नी करनाराम, म.बं.सु.गृ. जोधपुर :–** महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 07 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

महिला बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा महिला बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला शिविर में देखभाल करने हेतु शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अधीक्षक जेल ने महिला बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चंचल पत्नी करनाराम** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

63. **रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र भींयाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह सजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र भींयाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

64. **बालचंद पुत्र नारूमल उर्फ नारूलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 06 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालचंद पुत्र नारूमल उर्फ नारूलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

65. **मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 25.10.2008 को रिहा कर दिनांक 23.11.2008 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 24.04.2013 को जेल दाखिल (के. का. जयपुर) कराया गया। बंदी 04 वर्ष 04 माह 01 दिवस पैरोल से फरार रहा है एवं फरारी के दौरान एक अन्य प्रकरण में माननीय ए.डी.

जे. संख्या 02 महिला उत्पीड़न जयपुर महानगर द्वारा बंदी को 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

66. **कैलाशी बाई पत्नी बाबुलाल, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 04 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

महिला बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने महिला बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाशी बाई पत्नी बाबुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

67. **डालु पुत्र दुदा, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 03 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396, 397, 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा अपनी गैंग के साथ संयुक्त रूप से लूट करने एवं लूट के दौरान हत्या करने एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी डालू पुत्र दुदा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

68. **विष्णु पुत्र नेकराम, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02 धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2005 अंतर्गत धारा 302/34, 323/34, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 20.08.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 326/2005 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 28.10.2014 को 05 वर्ष कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (श्रीगंगानगर) द्वारा प्रकरण संख्या 543/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 19.12.2016 को 06 माह साधारण कारावास।
4. माननीय स्पेशल जज पोक्सो केसेज, धौलपुर के प्रकरण संख्या 33/2018 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 7, 8 पोक्सो एक्ट में दिनांक 19.12.2018 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 02.03.2015 को फरार हो गया, जिसे माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर की एफ.आई.आर. संख्या 364/2015 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. एवं 2, 3 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर दिनांक 11.10.2015 को जेल दाखिल कराया गया था।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विष्णु पुत्र नेकराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

69. **उदयलाल पुत्र मोहनलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 01 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396, 397, 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा अपनी गैंग के साथ संयुक्त रूप से लूट करने एवं लूट के दौरान हत्या करने एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी उदयलाल पुत्र मोहनलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

70. **भगवानदास पुत्र हीरादास, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396, 397, 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा अपनी गैंग के साथ संयुक्त रूप से लूट करने एवं लूट के दौरान हत्या करने एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी भगवानदास पुत्र हीरादास** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

71. **धर्मेन्द्रसिंह उर्फ राजु उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 15 वर्ष 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 09.09.2010 को रिहा कर दिनांक 28.09.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 11.02.2015 को बाद फरारी जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी

माननीय सैशन न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 02/2015 अंतर्गत धारा 302, 201, 376 आई.पी.सी. में वांछित भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेन्द्रसिंह उर्फ राजू उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

72. **देवेन्द्रसिंह पुत्र रतिपालसिंह, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 11 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 09.05.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 437/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी कुल 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्रसिंह पुत्र रतिपालसिंह** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

73. **मोमनराम पुत्र प्रेमाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 11 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार एवं मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोमनराम पुत्र प्रेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

74. **राजू पुत्र मूला, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार एवं मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू पुत्र मूला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

75. **प्रेम सिंह पुत्र भरत सिंह, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 10 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस पैरोल पर दिनांक 20.07.2007 को रिहा कर दिनांक 08.07.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना सेवर द्वारा गिरफ्तार कर एफ.आई.आर. संख्या 329/2007 अंतर्गत धारा 224, 216, 225 आई.पी.सी. में दिनांक 12.08.2014 को जेल दाखिल कराया गया, इस प्रकार बंदी 07 वर्ष 04 माह पैरोल से फरार रहा, के कारण बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। बंदी 08 अन्य प्रकरणों में भी वांछित है तथा अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रेमसिंह पुत्र भरतसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

76. **लालदास पुत्र हीरादास, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396, 397, 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा अपनी गैंग के साथ संयुक्त रूप से लूट करने एवं लूट के दौरान हत्या करने एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है तथा बंदी द्वारा स्वेच्छा से खुला शिविर में नहीं जाना चाहता है।

G.2

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को ध्यान में रखते हुए **बंदी लालदास पुत्र हीरादास** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

77. **वेदप्रकाश उर्फ वेदिया पुत्र ओमप्रकाश, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 21/2007 अंतर्गत धारा 302, 148, 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. क्रिमि. मर्डर रेफरेंस नं. 03/2010 एवं डी.बी. क्रिमिनल अपील नं. 18/2011 तथा डी.बी. क्रिमिनल जेल अपील संख्या 19/2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.2012 को मृत्युदण्ड की सजा को इस शर्त पर आजीवन कारावास में तब्दील की गई कि बंदी जीवनपर्यन्त जेल में रहेगा तथा सजा कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रतिबंधित धाराओं, 460, 395, 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में दण्डित किये जाने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गृह–भेदन, डकैती, गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी वेदप्रकाश उर्फ वेदिया पुत्र ओमप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

78. **परीक्षित भारती उर्फ बबलू पुत्र दुर्गा भारती, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 08 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 28.02.2018 को रात्रि 2.00 बजे रोहट जिला पाली में जाकर अपने परिजनों से झगड़ा किया गया, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना रोहट जिला पाली में एफ.आई.

आर. संख्या 48/2018 अंतर्गत धारा 447, 323, 341, 34, 325 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई, जिसमें बंदी जमानत पर है। बंदी का यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसे अभी 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी परीक्षित भारती उर्फ बबलू पुत्र दुर्गा भारती** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त घटना को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

79. **रामनिवास पुत्र दाताराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 07 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी 02 से अधिक 04 निम्नांकित प्रकरणों में दण्ड़ित है :–

1. प्रकरण संख्या 29/05 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी.
2. प्रकरण संख्या 365/05 अन्तर्गत धारा 224 आई.पी.सी.
3. प्रकरण संख्या 284/11 अन्तर्गत धारा 11(2) राज.बंदी अधि.
4. प्रकरण संख्या 118/07 अन्तर्गत धारा 379/511 आई.पी.सी.

बंदी दिनांक 07.09.2005 को झुंझुंनू कोर्ट से बाद पेशी खेतड़ी जेल ले जाते समय चालानी गार्ड से फरार हो गया था। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 09.09.2005 को जिला कारागृह, झुंझुंनू पर दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दिनांक 04.02.2011 को 7 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 10.02.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 03.05.2011 को जिला कारागृह, झुंझुंनू द्वारा जे.सी.वारंट सहित जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामनिवास पुत्र दाताराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

80. **पुष्करदास पुत्र हीरादास, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 07 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396, 397, 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा अपनी गैंग के साथ संयुक्त रूप से लूट करने एवं लूट के दौरान हत्या करने एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी पुष्करदास पुत्र हीरादास** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

81. **देवेन्द्र पुत्र देवकीनन्दन, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 08 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 11 अलीगढ़ (यू.पी.) के प्रकरण संख्या 493/2005 अंतर्गत धारा 302, 394, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 09.05.2007 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग क्रम 15 जयुपर नगर जयपुर के प्रकरण संख्या 269/2005 अंतर्गत धारा 420, 467, 468/120 बी, 471/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 14.07.2010 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
3. श्रीमान् अति. सैशन न्यायाधीश संख्या 02 दक्षिण दिल्ली जिला साकेत कोर्ट्स न्यू दिल्ली के प्रकरण संख्या 117/2005 अंतर्गत धारा 302, 365, 392, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 15.02.2011 को आजीवन कारावास।
4. श्रीमान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्र.सं. 12 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 1348/2004 अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में दिनांक 14.11.2013 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
5. श्रीमान् महानगर दण्डाधिकारी–07 (केन्द्रीय) कमरा नं. 180 तीस हजारी अदालत, दिल्ली के प्रकरण संख्या 293582/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 18.10.2016 को 04 माह कठोर कारावास।
6. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 07/2007 अंतर्गत धारा 364, 302/120बी, 397/120बी 201/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 20.10.2018 को आजीवन कारावास।

7. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद अमरोहा (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 2955/2002 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 47 आई.पी.सी. में दिनांक 17.04.2017 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

8. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 1316/2004 अंतर्गत धारा 420, 469, 471 आई.पी.सी. में दिनांक 22.11.2018 को 07 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 प्रकरणों में विचाराधीन है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्र पुत्र देवकीनन्दन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

82. **छोटूराम पुत्र सागरमल, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 06 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, दुर्गापुरा से दिनांक 21.09.2016 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना–शिप्रापथ जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 624/2016 दिनांक 21.09.2016 दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना शिप्रापथ जयपुर द्वारा दिनांक 18.01.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा माह जून, 2017 से सितंबर, 2017 तक जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य नहीं किया गया, दिसंबर, 2017 एवं फरवरी, 2018 में जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) (ख) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छोटूराम पुत्र सागरमल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

83. **उदयवीर उर्फ मकोय पुत्र रामफल, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 06 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397/120बी आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी उदयवीर उर्फ मकोय पुत्र रामफल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

84. **ईश्वरसिंह पुत्र जब्बरसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 05 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.07.2015 को रिहा कर दिनांक 18.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जालोर में एफ. आई.आर. संख्या 318 दिनांक 19.08.2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। श्रीमान् उप रजिस्ट्रार माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 18.07.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी कुल 02 वर्ष 11 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ईश्वरसिंह पुत्र जब्बरसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

85. **घनश्याम पुत्र नाथू के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 05 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार एवं मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4(क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घनश्याम पुत्र नाथू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

86. **टोनी कुमार उर्फ विकास पुत्र चन्द्रशेखर, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 04 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने हेतु प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी टोनी कुमार उर्फ विकास पुत्र चन्द्रशेखर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

87. **धोलिया उर्फ उमरिया उर्फ उमराव पुत्र चेतराम, के.का. बीकानेर**:– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 04 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। साथ ही प्रकरण संख्या 56/07 में बंदी को 302 आई.पी.सी. के तहत प्रदत्त मृत्यु दण्ड़ की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर मृत्यु तक जेल में रहने के दण्ड से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **धोलिया उर्फ उमरिया उर्फ उमराव पुत्र चेतराम** को खुले शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

88. **नीमिया उर्फ नेमीचंद पुत्र हरलाल, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 04 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 20.02.2014 को रिहा कर दिनांक 21.03.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, परन्तु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 01.09.2015 को जेल दाखिल करवाया गया। बंदी 01 वर्ष 05 माह 10 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी अन्य प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नीमिया उर्फ नेमीचंद पुत्र हरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

89. **शिवसिंह पुत्र हण्डूराम, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 02 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय डी.जे. करौली द्वारा प्रकरण संख्या 218/2001 अंतर्गत धारा 302, 148, 149 आई.पी.सी. में दिनांक 10.07.2002 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. बाड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 629/2001 अंतर्गत धारा 323, 387 आई.पी.सी. में 01 माह साधारण कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. करौली द्वारा प्रकरण संख्या 47/2008 अंतर्गत धारा 224, 216 आई.पी.सी. में 04 माह साधारण कारावास।
4. माननीय स्पेशल जज ड.प्र.क्षे. करौली द्वारा प्रकरण संख्या 82/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.06.2016 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 17.04.2007 को रिहा कर दिनांक 06.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी को बाद फरारी

एफ.आई.आर. संख्या 49/2013 पुलिस थाना सदर जिला करौली अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर दिनांक 20.03.2013 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 05 वर्ष 10 माह 14 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवसिंह पुत्र हण्डूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

90. **बंटी उर्फ कुलदीप जोशी पुत्र लक्ष्मीचंद, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 02 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, कोटा में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी द्वारा दिनांक 27.05.2018 को खुला बंदी शिविर के बाथरूम से एक प्लास्टिक थैली में पैकिटनुमा बनाकर रबड़ लपेटकर 03 मोबाईल जेल के अंदर फेंके जाने पर बंदी को जेल दाखिल कर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 28.05.2018 को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा बंदी का आचरण संतोषप्रद नहीं होने से अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बंटी उर्फ कुलदीप जोशी पुत्र लक्ष्मीचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

91. **ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। चिकित्साधिकारी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर द्वारा बंदी को दवा लेते हुए परिजनों की देखरेख में खुला शिविर में भेजा जा सकता है, अवगत कराया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला शिविर में देखरेख करने बाबत कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र बजरंग लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

92. **रोहिताश पुत्र कालूराम, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 10 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। चिकित्साधिकारी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर द्वारा बंदी को दवा लेते हुए परिजनों की देखरेख में खुला शिविर में भेजा जा सकता है, अवगत कराया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला शिविर में देखरेख करने बाबत कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रोहिताश पुत्र कालूराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

93. **साहिब हुसैन पुत्र सुकूल मोहम्मद, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 10 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा मई–2015 में जेल उद्योगशाला में कार्य नहीं करने के फलस्वरूप राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी साहिब हुसैन पुत्र सुकूल मोहम्मद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

94. **श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र भैरूलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 09 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायालय एस.सी.एस.टी. एक्ट झालावाड़ के प्रकरण संख्या 56/2006 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 20.01.2007 को आजीवन कारावास।

2. माननीय जे.एम. चिड़ावा के प्रकरण संख्या 212/2005 अंतर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 12.03.2010 को भुगती सजा से दण्डित।

3. माननीय ए.सी.जे.एम. नं. 06 कोटा के प्रकरण संख्या 81/2011 अंतर्गत धारा 325 आई.पी.सी. में दिनांक 16.04.2012 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

4. माननीय ए.सी.जे.एम. पी.सी.पी.एन.डी.टी.केसेज, कोटा के प्रकरण संख्या 488/2016 अंतर्गत धारा 3/24, 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29.08.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार 20 दिवस सामान्य पैरोल पर दिनांक 10.07.2014 को रिहा कर दिनांक 29.07.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 कोटा के एफ.आई.आर. संख्या 754/2014 पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा द्वारा दिनांक 15.12.2014 को केन्द्रीय कारागृह, कोटा में जेल दाखिल करवाया जाने पर दिनांक 20.12.2014 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर जेल दाखिल कराया गया। बंदी का प्रकरण संख्या 488/2016 में जुर्माना शेष है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र भैंरूलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

95. **कालूराम उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र बनवारीलाल, के.का. श्रीगंगानगर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 09 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, श्री कल्याण भूमि गौ सदन, श्रीगंगानगर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 12.07.2018 को अन्य बंदियों के साथ आपस में गाली गलौच व झगड़ा करने तथा वहां रखे सामान को इधर–उधर गायों पर फेंकने लगे, इस प्रकार खुला शिविर का माहौल खराब करने के फलस्वरूप बंदी को दिनांक 13.07.2018 को जेल दाखिल कराया गया। उक्त घटना को अभी 02 वर्ष नहीं हुये है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालूराम उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र बनवारीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

96. **चन्दूराम पुत्र भोन्दूराम, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 09 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 01.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना–जैतसर जिला श्रीगंगानगर में एफ.आई.आर. संख्या 263/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी के बाद फरारी जेल दाखिल हुए अभी 02 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चन्दूराम पुत्र भोन्दूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

97. **कृष्ण कुमार उर्फ गोलू उर्फ मुकेश पुत्र गिदुराम उर्फ जिदूराम, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 08 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, श्री कल्याण भूमि गौ सदन, श्रीगंगानगर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 12.07.2018 को अन्य बंदियों के साथ आपस में गाली गलौच व झगड़ा करने तथा वहां रखे सामान को इधर–उधर गायों पर फेंकने लगे, इस प्रकार खुला शिविर का माहौल खराब करने के फलस्वरूप बंदी को दिनांक 13.07.2018 को जेल दाखिल कराया गया। उक्त घटना को अभी 02 वर्ष नहीं हुये है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कृष्ण कुमार उर्फ गोलू उर्फ मुकेश पुत्र गिदुराम उर्फ जिदूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

98. **महावीर प्रसाद पुत्र अमराराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 08 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, बीछवाल में सजा भुगतने के दौरान दिनांक 20.08.2016 को सांयकाल में उपस्थित नहीं मिला, पूछताछ करने पर बंदी खुला शिविर में नहीं पाया गया, जिस पर पुलिस थाना बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। दिनांक 23.08.2016 को श्रीमान् ए.सी.जे.एम. (पी.एल.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के एफ.आई.आर. संख्या 185/2016 पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 23.08.2016 को जेल दाखिल कराया गया। एवं बंदी मनोरोगी भी है इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महावीर प्रसाद पुत्र अमराराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

99. **फुसाराम पुत्र सुरजाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी फुसाराम पुत्र सुरजाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

100. **कृष्ण उर्फ करसन पुत्र जुगताजी, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 06 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्णतया अंधा एवं लाचार है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के उसके परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में

देखभाल करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कृष्ण उर्फ करसन पुत्र जुगताजी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

101. **गणेश पुत्र छन्नीलाल, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 05 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 11.06.2016 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना–सांगानेर जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 502/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर जयपुर द्वारा दिनांक 13.06.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 05.07.2017 से दिनांक 16.07.2017 तक व माह नवंबर, 2018 से दिसंबर, 2018 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) (ख) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी फरारी प्रकरण में वांछित भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गणेश पुत्र छन्नीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

102. **महेन्द्र कुमार पुत्र रामजी, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला शिविर में देखभाल करने हेतु असहमति दी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र रामजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

103. **मनोज यादव उर्फ राजेश शर्मा उर्फ कुलदीप शर्मा उर्फ अजय शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा पुत्र बदन सिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 04 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी ए.डी.जे. III हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के प्रकरण संख्या 66/2008 अंतर्गत धारा 364 आई.पी.सी. में वांछित है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 97/2010 में निर्णय दिनांक 18.07.2011 द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करते हुए निर्देशित किया है कि उसे शेष जीवन तक जेल से रिहा ना किया जावें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनोज यादव उर्फ राजेश शर्मा उर्फ कुलदीप शर्मा उर्फ अजय शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा पुत्र बदनसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

104. **रामू पुत्र धूला, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 04 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के उसके परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में देखभाल करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामू पुत्र धूला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

105. **बालमुकुन्द पुत्र रतनलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के उसके परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में

देखभाल करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालमुकुन्द पुत्र रतनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

106. **राकेश पुत्र जसवंत, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 03 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशानुसार 06 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 05.03.2003 को रिहा कर दिनांक 10.03.2003 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 10.05.2014 को पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी 11 वर्ष 02 माह पैरोल से फरार रहा है।

बंदी के 395, 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी अन्य 06 प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र जसवंत** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

107. **राजेश पुत्र शंकरलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 03 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, प्रतापगढ़ से दिनांक 02.07.2016 को सायंकाल रोलकॉल से फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना प्रतापगढ़ में एफ.आई.आर. संख्या 217/2016 अंतर्गत धारा 225 (ख) दर्ज करवायी गई। पुलिस थाना प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 05.07.2016 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल करवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश पुत्र शंकरलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

108. **समयसिंह उर्फ पप्पू पुत्र परमानन्द उर्फ परमदिया, के.का. भरतपुरः**— बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 02 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :—

1. माननीय ए.डी.जे. फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 04/2002 अंतर्गत धारा 395, 396, 397 आई.पी.सी. व 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 02.11.2002 (प्रभावी दिनांक 31.10.2012) को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पेशल जज ड.प्र.क्षे. कोर्ट संख्या 04 फिरोजाबाद (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 140/2000 अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.04.2012 को आजीवन कारावास।
3. माननीय स्पेशल जज कोर्ट संख्या 08 आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 153/2009 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 26.08.2015 को 05 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 395, 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी समयसिंह उर्फ पप्पू पुत्र परमानन्द उर्फ परमदिया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

109. **मीठालाल पुत्र प्रभुलाल, के.का. भरतपुर** :— बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 02 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 20.11.2013 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 29.12.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 28.06.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

अधीक्षक जेल ने दिनांक 16.08.2017 को बंदी को पैरोल से फरार होने के कारण 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मीठालाल पुत्र प्रभुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

110. **जोगाराम पुत्र रूपाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 10 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 27.08.2018 को अन्य बंदियों के साथ शराब पीकर लड़ाई–झगड़ा करने, गाली–गलौच करने एवं स्टाफ के साथ अभद्रता करने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला–बाड़मेर में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर एस.डी.एम. के समक्ष पेश करने पर बंदी की जमानत ले ली तथा बंदी को जेल दाखिल कराया गया, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। उक्त घटना को अभी 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोगाराम पुत्र रूपाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

111. **गंगाराम पुत्र श्योदान, के.का. अलवर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 10 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दो प्रकरणों में दण्डित किया गया है तथा अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से पृथक्–पृथक् दण्डित किया गया है वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के अपराध की पुनरावृत्ति करने पर को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 32 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गंगाराम पुत्र श्योदान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

112. **नन्दा पुत्र प्रभु, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 10 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 78 वर्ष होने व लाचार होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा पत्नी के विकलांग होने व साथ में रहने हेतु कोई नहीं होने से खुला शिविर में नहीं जाने हेतु प्रार्थना की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नन्दा पुत्र प्रभु** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

113. **सोमाराम पुत्र सोनाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 08 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, बाड़मेर से दिनांक 11.07.2015 को फरार हो गया। जिसे दिनांक 19.04.2017 को पुनः जेल दाखिल कराया गया है। बंदी फरारी प्रकरण संख्या 309/2015 में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोमाराम पुत्र सोनाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

114. **राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पूरणाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 07 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 23.04.2012 को रिहा कर दिनांक 12.05.2012 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना सरदार शहर द्वारा दिनांक 15.06.2013 को गिरफ्तार कर श्रीमान् एस.डी.एम. सरदार शहर के प्रकरण संख्या 159/2013 के वारंट सहित दिनांक 16.06.2013 को जिला कारागृह, चूरू में दाखिल करवाया गया तथा दिनांक 21.06.2013 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दाखिल कराया गया। बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 05.05.2018 को तलाशी के दौरान बंदी के पास नोकिया फोन बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 07.05.2018 को एक माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा दिनांक 30.12.2018 को पुनः तलाशी के दौरान सेमसंग मोबाईल बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 10 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पूरणाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

115. **ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचंद, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 07 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर के प्रकरण संख्या 56/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 353 आई.पी.सी. में दिनांक 30.07.2011 को आजीवन कारावास।

2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, नावां शहर नागौर के प्रकरण संख्या 188/2010 अंतर्गत धारा 394, 342/34 आई.पी.सी. में दिनांक 27.03.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, रतनगढ़ जिला चूरू के प्रकरण संख्या 01/2010 अंतर्गत धारा 307/34, 353 आई.पी.सी. में दिनांक 20.07.2018 को 07 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, नागौर के प्रकरण संख्या 134/2009 अंतर्गत धारा 365, 201, 302, 394/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

116. **लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल, के.का. बीकानेरः–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 06 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी को दिनांक 11.10.2012 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 30.10.2012 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में रोजनामचा आम में रिपोर्ट दर्ज की गई। बंदी को पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ द्वारा दिनांक 14.06.2015 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

117. **चेतराम उर्फ चेतू पुत्र रामजीलाल, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 06 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चेतराम उर्फ चेतू पुत्र रामजीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

118. **रमेश दौलतपुरिया पुत्र हरिशचन्द्र, उ.सु.का.अजमेरः**– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 05 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 02.06.2007 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 11.07.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी दिनांक 16.06.2016 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.06.2018 को तलाशी के दौरान बंदी के पास एक मोबाईल मय सिम के बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश दौलतपुरिया पुत्र हरिशचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

119. **श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 05 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक चार निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 67/2002 अंतर्गत धारा 302/149, 148, 449, 364, 323, 324, 342, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 03.07.2003 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 12/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 504 आई.पी.सी. में दिनांक 28.02.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 49/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 324/34, 326/34, 341 आई.पी.सी. एवं 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.09.2013 को आजीवन कारावास।
4. श्रीमान् अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश, मुक्तसर साहिब (पंजाब) के प्रकरण संख्या 117/2008 अंतर्गत धारा 307, 392, 324, 186, 353, 332, 427, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 23.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार अंतरिम जमानत पर दिनांक 07.02.2004 को रिहा कर दिनांक 16.03.2004 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया, जिसे दिनांक 01.07.2009 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 05 वर्ष 03 माह 15 दिवस अंतरिम जमानत से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

120. **संजय पाण्डे पुत्र भालचंद, उ.सु.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 04 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी आनंदपाल गैंग से संबंधित है तथा वर्तमान में उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर में सजा भुगत रहा है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संजय पाण्डे पुत्र भालचंद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

121. **रघुवीर पुत्र रामप्रसाद, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 04 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 08.02.2017 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 27.02.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई. आर. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना बीछवाल द्वारा श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज बीकानेर के एफ.आई.आर. संख्या 85/2017 के जे.सी.वारंट सहित दिनांक 20.12.2017 को जेल दाखिल करवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रघुवीर पुत्र रामप्रसाद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

122. **गुड्डन पुत्र मनोहरसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 03 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 395 एवं 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा बंदी 12 अन्य प्रकरणों में वांछित भी है तथा बंदी द्वारा डकैती, हत्या सहित डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डन पुत्र मनोहरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

123. **समसू पुत्र कमला, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 03 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 27.02.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 28.03.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 16.08.2016 को पुलिस थाना सेवर (भरतपुर) द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण की सजा समाप्त हो चुकी है किंतु बंदी 07 वर्ष 04 माह 18 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी समसू पुत्र कमला** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

124. **धर्मवीर पुत्र धन्नासिंह, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 03 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 06 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 01 अजमेर के प्रकरण संख्या 11/2007 अंतर्गत धारा 399, 402 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 31.05.2008 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 08 अजमेर के प्रकरण संख्या 1073/2007 (184/2007) अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 12.01.2009 को 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास।
3. श्रीमान् अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) आबुरोड़ के प्रकरण संख्या 31/2008 (41/2007) अंतर्गत धारा 396, 302 आई.पी.सी. में दिनांक 18.08.2009 को आजीवन कारावास।
4. श्रीमान् अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सं.02 अजमेर के प्रकरण संख्या 12/2005 (19/2004) अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 10.03.2011 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
5. श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट अजमेर के प्रकरण संख्या 16/2006 (138/2006) अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 10.04.2012 को 09 माह साधारण कारावास।
6. श्रीमान् अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03 अजमेर के प्रकरण संख्या 1680/2003 (166/2003) अंतर्गत धारा 353, 352, 328 आई.पी.सी. में दिनांक 16.07.2013 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दिनांक 25.12.2014 को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 13.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 24.09.2017 को जेल दाखिल कराया गया।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है एवं बंदी माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03 अजमेर के प्रकरण संख्या 6087/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. व 11 (2) राजस्थान बंदी अधिनियम में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि, संलिप्तता तथा पैरोल से फरार होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मवीर पुत्र धन्नासिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

125. **आजादसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 02 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 11.02.2014 को रिहा कर दिनांक 02.03.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 13.07.2014 को जिला कारागृह, सिरोही पर दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा नियम विरूद्ध खाना नहीं लेने व भूख हड़ताल के दौरान भूख हड़ताल समाप्त करने बाबत नोटिस देने पर उसे फाड़ने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 05.10.2017 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आजादसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

126. **दुर्गालाल पुत्र नानूराम, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 02 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 14.06.2017 को फरार हो गया था जिसे थानाधिकारी पुलिस थाना बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा फरारी के दौरान दुर्घटना ग्रसित होने पर पुनः गिरफ्तार कर शेष सजा भुगताने हेतु दिनांक 25.08.2017 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दाखिल कराया गया। बंदी 02 माह 10 दिवस खुला शिविर से फरार रहा। बंदी को अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में भी दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गालाल पुत्र नानूराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

127. **ओमप्रकाश पुत्र नथमल, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 02 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में 20 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 19.05.2007 को रिहा कर दिनांक 07.06.2004 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 12.04.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 10 वर्ष 10 माह 24 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजें जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र नथमल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

128. **जोगा सिंह पुत्र करनैलसिंह, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 01 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, श्री कल्याण भूमि गौ सदन, श्रीगंगानगर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 12.07.2018 को अन्य बंदियों के साथ आपस में गाली गलौच व झगड़ा करने तथा वहां रखे सामान को इधर–उधर गायों पर फेंकने लगे, इस प्रकार खुला शिविर का माहौल खराब करने के फलस्वरूप बंदी को दिनांक 13.07.2018 को जेल दाखिल कराया गया। उक्त घटना को अभी 02 वर्ष नहीं हुये है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोगा सिंह पुत्र करनैलसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

129. **हरनेकसिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तारासिंह, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 02 से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् ए.डी.जे. संख्या 03 जयपुर मेट्रो जयपुर के प्रकरण संख्या 06/2017 अंतर्गत धारा 364ए, 365, 343, 346, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 06.10.2017 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संया 03 जयपुर मेट्रो जयपुर के प्रकरण संख्या 07/2017 अंतर्गत धारा 307, 353, 420, 468, 471 आई.पी.सी. 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 1908 सेक्शन 4 में दिनांक 06.10.2017 को 10 वर्ष कठोर कारावास
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03 जयपुर मेट्रो जयपुर के प्रकरण संख्या 05/2007 अंतर्गत धारा 176, 177, 468, 419 आई.पी.सी. एवं 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 1908 सेक्शन 4, 5 में दिनांक 06.10.2017 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक 10 वर्ष 10 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी दो से अधिक तीन प्रकरणों में दण्डित है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी राजेन्द्र मिर्धा अपहरण काण्ड के संवेदनशील प्रकरण में सजा भुगत रहा है।

अतः उक्त को मध्यनजर रखते हुए **बंदी हरनेकसिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तारासिंह** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

130. **सरफराज मोहम्मद पुत्र इशाक मोहम्मद, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी के आवास में चरस व स्मैक बरामद होने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व में एफ.आई.आर. संख्या 325/2017 अंतर्गत धारा 8/20, 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाया जाने पर बंदी को अंतर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस.एक्ट में गिरफ्तार कर उसे दिनांक 04.05.2017 को जेल दाखिल कराया गया।

माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 19 जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर जयपुर के एफ.आई.आर. संख्या 325/2017 अंतर्गत धारा 8/21, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में वांछित चल रहा है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सरफराज मोहम्मद पुत्र इशाक मोहम्मद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

131. **शहजाद पुत्र लियाकत खां, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 12 वर्ष 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 04 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् ए.डी.जे. (फास्ट ट्रेक) नागौर के प्रकरण संख्या 45/2006 (38/2006) अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 15.05.2008 (प्रभावी दिनांक 06.04.2011) को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् ए.सी.जे.एम. नं. 03 अजमेर के प्रकरण संख्या 823/2010 (236/2010) अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 18.08.2011 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
3. श्रीमान् ए.सी.जे.एम. किशनगढ़ के प्रकरण संख्या 304/2011 (615/2010) अंतर्गत धारा 411 आई.पी.सी. में दिनांक 23.03.2012 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

4. श्रीमान् ए.डी.जे. नं. 04 अजमेर के प्रकरण संख्या 27/2012 अंतर्गत धारा 364/120बी, 302/120बी आई.पी.सी. एवं 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2014 को आजीवन कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दिनांक 17.08.2010 को 07 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 11.08.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 06.04.2011 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अन्य प्रकरण में जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 17.09.2014 को पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर ले जाते समय डेगाना रेल्वे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। जिसे दिनांक 06.12.2015 को पुनः गिरफ्तार होने पर जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शहजाद पुत्र लियाकत खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

132. **राजकुमार पुत्र सत्यनारायण, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 11 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, अलवर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 31.12.2017 को रात्रि में अन्य बंदी सतीश पुत्र श्योचंद के साथ झगड़ा करने पर दोनों बंदियों को सुरक्षा की दृष्टि से जेल दाखिल किया गया तथा अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 02.01.2018 को बंदी को 30 दिवस अर्जित परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार पुत्र सत्यनारायण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

133. **बापूलाल उर्फ पप्पू पुत्र कालू मीणा, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 11 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 07.12.2018 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 1295/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 11.12.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी वर्तमान में फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूलाल उर्फ पप्पू पुत्र कालू मीणा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

134. **बुधराम पुत्र भींयाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 10 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, पक्कासारना (हनुमानगढ़) में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 30.06.2017 को खुला शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सदर (हनुमानगढ़) में एफ.आई.आर. संख्या 179/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सदर (हनुमानगढ़) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 02.07.2017 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। बंदी वर्तमान में फरारी प्रकरण में विचाराधीन है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बुधराम पुत्र भींयाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

135. **सवाई खां पुत्र फौजु खां, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा माह अगस्त, 2013 से सितंबर, 2013 तक, माह नवंबर, 2013 से मार्च, 2014 तक, माह जून, 2014 से सितंबर, 2015 तक, माह नवंबर, 2015 में जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य से कम कार्य किया गया तथा माह फरवरी, 2016 से मार्च, 2016, माह मई, 2016 में कम कार्य करने एवं माह जून, 2016 से जुलाई, 2016 व माह अक्टूबर, 2016 में जेल उद्योगशाला में कार्य नहीं करने करने, माह नवंबर, 2016 से दिसंबर, 2016 तक जेल उद्योगशाला से अधिकांशतः अनुपस्थित रहा है तथा शेष दिन कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सवाई खां पुत्र फौजु खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

136. **राजकुमार पुत्र कुंवरसिंह, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 05 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, ड.प्र.क्षेत्र धौलपुर के प्रकरण संख्या 42/2006 अंतर्गत धारा 148, 302/149, 395, 396 आई.पी.सी. में दिनांक 03.06.2014 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, आगरा के जी.एस.टी. संख्या 137ए/2005 अं.नं. 458/2004 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 05.11.2016 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, आगरा के जी.एस.टी. संख्या 269ए/2007 अं.सं. 373/2007 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 09.11.2016 को 04 वर्ष 03 माह कठोर कारावास।
4. श्रीमान् ए.डी.जे. नं. 09 आगरा के एस.एस.टी.संख्या 86ए अ.रां. 22/2007 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
5. श्रीमान् ए.डी.जे. नं. 09 आगरा के एस.एस.टी.संख्या 69ए/2007 अ.सं. 98/2007 अंतर्गत धारा 307, 399, 401, 147, 148 आई.पी.सी. व 25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 31.01.2018 को 08 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धाराओं में दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार पुत्र कुंवरसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

137. **मीनू पुत्र लाल्या उर्फ लालू, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 09 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 30.05.2015 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 18.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी

जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी संख्या 111/2016 अंतर्गत धारा 11 (2) (क) दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 12.09.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में माह जनवरी, 2017 एवं मार्च, 2017 में कार्य नहीं किया तथा माह अप्रैल, 2017 से अक्टूबर, 2017 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मीनू पुत्र लाल्या उर्फ लालू** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

138. **सुभाष पुत्र बागाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 20.11.2010 को 10 दिवस अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 30.11.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे ए.सी.जे.एम. संख्या 02 जोधपुर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 506/2011 पुलिस थाना प्रताप नगर द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 21.12.2011 को जेल दाखिल किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुभाष पुत्र बागाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

139. **भीख सिंह पुत्र मेघसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 07 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भीख सिंह पुत्र मेघसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

140. <u>आबिद पुत्र ईमरत, के.का. भरतपुर :–</u> बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 06 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के आदेशानुसार 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 17.02.2016 को रिहा कर दिनांक 07.03.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 22.03.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोग से भी ग्रसित है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आबिद पुत्र ईमरत** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

141. <u>हनुमानदास पुत्र रघुनाथदास, के.का. जयपुर :–</u> बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 06 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा माह जनवरी, 2014 से जुलाई, 15 तक एवं अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 10.04.2016 को उद्योगशाला से अनुपस्थित अवधि के परिहार से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा माह अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 05.10.2016 को भविष्य के लिये चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। जिसे 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माह अक्टूबर, 2016 से दिसंबर, 2016 तक एवं माह जनवरी, 2017 से माह नवंबर, 2018 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हनुमानदास पुत्र रघुनाथदास** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

142. <u>दीपाराम पुत्र जेठाराम, के.का. बीकानेर :–</u> बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 05 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 79 वर्ष है तथा वह लाचार है, इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपाराम पुत्र जेठाराम** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

143. **पुरूषोतम उर्फ पोषण पुत्र किसनलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.04.2017 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जैतसर (श्रीगंगानगर) में एफ.आई.आर. संख्या 99/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को दिनांक 10.05.2017 को उप कारागृह, सूरतगढ़ एवं दिनांक 15.05.2017 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर पर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पुरूषोतम उर्फ पोषण पुत्र किसनलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

144. <u>लूनिक पुत्र लीयोन, के.का. बीकानेर</u> :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लूनिक पुत्र लीयोन** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

145. **गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याणसिंह, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 05 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् ए.डी.जे. गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 46/2008 अंतर्गत धारा 302, 404, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 01.08.2012 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् जे.एम. संख्या 02 भरतपुर के प्रकरण संख्या 203/2016 अंतर्गत धारा 58 क, 58 ख कारागृह अधिनियम में दिनांक 23.11.2016 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. श्रीमान् जे.एम.–1 बामणवास के प्रकरण संख्या 159/2016 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 27.01.2017 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 11.08.2015 को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 30.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 12.08.2016 को गिरफ्तार होकर जिला कारागृह, गंगापुर सिटी से बाद पैरोल जेल दाखिल किया गया। बंदी का प्रकरण संख्या 159/2016 में जुर्माना शेष है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याणसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

146. **आतिश गर्ग पुत्र प्रकाश चंद गर्ग, उ.सु.का.अजमेरः–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 05 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 09.07.2014 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 28.07.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 07.01.2015 को अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.06.2018 को तलाशी के दौरान बंदी के पास एक मोबाईल मय सिम के बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आतिश गर्ग पुत्र प्रकाशचंद गर्ग** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

147. **बंशीराम उर्फ बंशीलाल पुत्र भैंराराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 04 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी बंशीराम उर्फ बंशीलाल पुत्र** भैंराराम को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

148. **भोदर पुत्र कलजी, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 04 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भेड़ ऊन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.09.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। बंदी दिनांक 19.09.2018 को खुला शिविर पर स्वयं उपस्थित हुआ, जिसे जेल दाखिल कर लिया गया।

बंदी के खुला बंदी शिविर से फरार होने पर अधीक्षक जेल ने दिनांक 19.09.2018 को 07 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भोदर पुत्र कलजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

149. <u>ईश्वरसिंह पुत्र भूरसिंह, के.का. अजमेर :–</u> बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 04 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 61 वर्ष होने व लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ईश्वरसिंह पुत्र भूरसिंह** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

150. <u>बालूसिंह पुत्र उदयसिंह, के.का. अजमेर :–</u> बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 04 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 71 वर्ष होने व लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालूसिंह पुत्र उदयसिंह** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

151. **राजू उर्फ रजुआ पुत्र रामफल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 03 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शितिर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 38 वर्ष होने से युवा है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी एक अन्य प्रकरण में वांछित भी है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी राजू उर्फ रजुआ पुत्र रामफल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

152. **मुकेश पुत्र विद्याराम, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 01 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक 07 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.) धौलपुर के प्रकरण संख्या 50/2006 अंतर्गत धारा 399, 402, 148, 307/149 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.11.2008 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़ी के प्रकरण संख्या 190/2004 अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 336 आई.पी.सी. में दिनांक 22.12.2008 को भुगती सजा से दण्डित। (अपील निर्णय अनुसार सजा समाप्त)

3. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. प्रकरण धौलपुर के प्रकरण संख्या 51/2005 अंतर्गत धारा 302, 341 आई.पी.सी. व 3–2 (5) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दिनांक 04.02.2009 को आजीवन कारावास।

4. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बाड़ी के प्रकरण संख्या 22/2013 अंतर्गत धारा 307/149, 353/149, 148 आई.पी.सी. में दिनांक 13.04.2016 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, आगरा के प्रकरण संख्या 345ए/2008 अपराध संख्या 03/2008 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 20.01.2016 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

6. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बाड़ी के प्रकरण संख्या 245/2013 अंतर्गत धारा 341, 302 आई.पी.सी. में दिनांक 05.07.2017 को आजीवन कारावास।

7. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 16 आगरा के प्रकरण संख्या 130ए/2006 अपराध संख्या 150/2005 अंतर्गत धारा 364, 365 आई.पी.सी. में दिनांक 04.04.2018 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी पेशी के दौरान दिनांक 08.09.2009 को पुलिस अभिरक्षा से बंदी फरार हो गया था, जिसमें बंदी दिनांक 11.04.2011 को गिरफ्तार होकर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश पुत्र विद्याराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

153. **सांवलाराम पुत्र सुरजनराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 01 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 29.03.2018 को कृषि अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल बीकानेर एवं प्रभारी बंदी खुला शिविर द्वारा प्रस्तुत शिकायत अनुसार बंदी के फार्म पर निरंतर अनुपस्थित रहना व फार्म में आवंटित कार्य करने से मना करने, फार्म के अधिकारियों से गाली–गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने पर बंदी को जेल दाखिल कराया गया था। चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट अनुसार बंदी मानसिक रोगी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, अधीक्षक जेल ने उक्त घटना एवं बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित होने से उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सांवलाराम पुत्र सुरजनराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

154. **हीरादास पुत्र श्रीराम, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी हीरादास पुत्र श्रीराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

155. **राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 11 वर्ष 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 02.01.2018 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ.आई.आर.संख्या 786/2018 अंतर्गत धारा 224 आई. पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा दिनांक 05.01.2018 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 16.07.2018 तक एवं दिनांक 02.11.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

156. **राकेश पुत्र श्रीकिशन, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 11 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 03.03.2014 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 01.04.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना, रातानाड़ा जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 05.06.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी के विरूद्ध फरारी प्रकरण दर्ज नहीं है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है एवं माननीय जे.एम. पीपाड़ शहर जोधपुर के प्रकरण संख्या 743/2006 अंतर्गत धारा 147, 332, 353 आई.पी.सी. तथा 89/2014 पुलिस थाना रातानाड़ा में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र श्रीकिशन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

157. **अखेराज पुत्र प्रेमराज, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 10 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, गौ संवर्धन समिति, नरसिंहपुरा बिरानी श्रीगंगानगर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.07.2018 को सांयकाल पश्चात् नियमित हाजिरी के समय अन्य बंदी के साथ गाली–गलौच व मारपीट करते पाया गया। बातचीत के दौरान बंदी शराब के नशे में होना प्रतीत हो रहा था, जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना घमुड़वाली ने बंदी का मेडिकल कराया व बंदियों को 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया व दिनांक 11.07.2018 को दोनों बंदियों को निजी मुचलकें पर रिहा कर दिया गया। उक्त कारणों से दिनांक 11.07.2018 को बंदी को जेल दाखिल कराया गया। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अखेराज पुत्र प्रेमराज** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

158. **अशोक कुमार पुत्र चन्द्रा जी उर्फ चन्दनसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 10 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 एवं 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 31 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों मे शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार पुत्र चन्द्रा जी उर्फ चन्दनसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

159. **गजेन्द्र उर्फ श्याम पुत्र त्रिलोकसिंह, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 09 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा डकैती, अपहरण जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 36 वर्ष है, के कारण बंदी के पुनः अपराध में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजेन्द्र उर्फ श्याम पुत्र त्रिलोकसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

160. **नेतराम उर्फ धोलूराम पुत्र आदराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 08 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी के परिजनों द्वारा कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नेतराम उर्फ धोलूराम पुत्र आदराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

161. **घेवाराम पुत्र जेपाजी, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 08 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 एवं 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा दिनांक 24.09.2017 को मुलाकात में माताजी की तस्वीर में मोबाईल छिपाकर मंगवाया गया, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को 15 दिवस का परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर में एफ.आई.आर. संख्या 319/2017 दर्ज करवायी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है एवं बंदी द्वारा 22 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 33 वर्ष है, बंदी के जेल अवधि मे किये गये अनुशासनहीनता के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घेवाराम पुत्र जेपाजी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

162. **शिवराजसिंह पुत्र रूपसिंह, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, बंदी ने खुला शिविर में नहीं जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवराजसिंह पुत्र रूपसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

163. **कैलाश पुत्र मोहन राम, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 07 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 03 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् अपर सैशन न्यायाधीश डीडवाना (नागौर) के प्रकरण संख्या 19/2009 अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ), 363 आई.पी.सी. में दिनांक 15.06.2011 को आजीवन कारावास। (प्रभावी दिनांक 26.07.2011)
2. श्रीमान् अपर सैशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ चूरू के प्रकरण संख्या 11/11 अंतर्गत धारा 363, 324 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2012 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना नागौर के प्रकरण संख्या 308/11 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. एवं लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1983 की धारा 03 में दिनांक 08.06.2015 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है एवं दिनांक 15.06.2011 की मध्यरात्रि करीब 1.30 बजे जेल के सरिये काटकर फरार हो गया था जिसे दिनांक 26.07.2011 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) एवं (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी कैलाश पुत्र मोहन राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

164. **भैंरू सिंह पुत्र रमसल्ली, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 06 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी दिनांक 25.09.2010 को गार्ड कस्टडी के दौरान फरार हो गया था, जिसे दिनांक 18.06.2013 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया था इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, टोडाभीम जिला करौली के प्रकरण संख्या 220/2013 अंतर्गत धारा 223, 224, 225 आई.पी.सी. एवं माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 हिण्डौन सिटी जिला करौली के प्रकरण संख्या 85/2013 (एफ.आई.आर. संख्या 73/2013) अंतर्गत धारा 332, 353, 307 आई.पी.सी. व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन भी है, इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है।

अतः समिति द्वारा बंदी की आपराधिक प्रवृति एवं संलिप्तता को ध्यान मे रखते हुये **बंदी भैंरूसिंह पुत्र रमसल्ली को** खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

165. **दशरथ पुत्र रामजीलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 05 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, जिसका कार्यवाही विवरण पृथक् से जारी किया गया है।

166. **अजीत पुत्र शिवलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 05 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 10 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर के प्रकरण संख्या 274/2001 अंतर्गत धारा 3/25 (1–बी) आर्म्स एक्ट में दिनांक 09.05.2002 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
2. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, भिवानी (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 217/2000 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 09.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 656/2001 अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 26.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

4. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 96/2002 अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 07.08.2002 को भुगती सजा से दण्डित।
5. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 750/2001 अंतर्गत धारा 323, 506, 34 आई.पी.सी. में दिनांक 12.08.2002 को भुगती सजा से दण्डित।
6. श्रीमान् अपर सैशन न्यायाधीश, भिवानी (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 127/2001 अंतर्गत धारा 392, 397, 34 आई.पी.सी. में दिनांक 14.08.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
7. श्रीमान् अपर सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) भिवानी (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 178/2001 अंतर्गत धारा 392, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 09.09.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
8. श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर के एफ.आई.आर. संख्या 76/2001 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में दिनांक 17.03.2013 को आजीवन कारावास।
9. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 768/2000 अंतर्गत धारा 379, 468, 471, 420 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2009 को भुगती सजा से दण्डित।
10. श्रीमान् अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 401/2006 अंतर्गत धारा 329 आई.पी.सी. में दिनांक 09.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी लाचार भी है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीत पुत्र शिवलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

167. **हनीफ खां पुत्र गारू खां, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 04 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल पर दिनांक 12.05.2018 को रिहा कर दिनांक 20.06.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ. आई.आर. संख्या 151/2018 दर्ज करवाई गई। पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर बंदी को दिनांक 27.06.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हनीफ खां पुत्र गारू खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

168. **अजीत पुत्र रामकुमार, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 04 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 08.01.2015 को रिहा कर दिनांक 27.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं हुआ और पैरोल से फरार हो गया। बंदी अन्य प्रकरण में गिरफ्तार होकर दिनांक 23.06.2015 को तिहाड़ जेल नई दिल्ली में दाखिल हुआ।

दिनांक 17.04.2018 को कारागृह के वार्ड नं. 03 की बैरिक 09 की सघन तलाशी के दौरान बंदी से छिपाया हुआ नोकिया का फोन मय सिम बरामद किया गया, जिस पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 23.04.2018 को 01 माह मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी माननीय सैशन न्यायाधीश, चूरू के एफ.आई.आर. संख्या 42/2015 अंतर्गत धारा 395, 365 आई.पी.सी. एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के एफ.आई.आर. संख्या 483/2018 अंतर्गत धारा 302, 307, 109, 120बी आई.पी.सी. व 27 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि में संलिप्तता को देखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीत कुमार पुत्र रामकुमार** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

169. **विजय सिंह पुत्र हल्के उर्फ रामचरण, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 01 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 15 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 26.04.2007 को रिहा कर दिनांक 10.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 15.08.2016 को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, करौली से जेल दाखिल कराया गया। बंदी 09 वर्ष 03 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी 07 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी द्वारा जेल नियमों की पालना न कर पैरोल से फरार होने व अपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय सिंह पुत्र हल्के उर्फ रामचरण** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

170. **बाबुलाल पुत्र काना, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। पूर्व में महानिदेशालय कारागार, जयपुर के पत्रांक 22734–59 दिनांक 16.07.2018 द्वारा बंदी को परिजन द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर बंदी खुला शिविर, बीछवाल भिजवाया गया था, किंतु परिजनों के शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के अभाव में बंदी को पुनः जेल दाखिल कराया गया था। अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा देखभाल हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है। बंदी के परिजनों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबुलाल पुत्र काना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

171. **विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 10 वर्ष 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। पूर्व में बंदी को खुला शिविर में उसके परिजनों द्वारा उसकी देखभाल करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया था, बंदी के परिजनों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बंदी को खुला बंदी शिविर से दिनांक 10.10.2018 को पुनः जेल दाखिल किया गया था। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

172. **केंगू पुत्र रामसिंह, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 11 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 396 व 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है तथा बंदी अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी केंगू पुत्र रामसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

173. **जगदीश पुत्र धर्मपाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 11 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397/34 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा पेशी के दौरान दिनांक 19.06.2018 को जेल दाखिल होने पर गेट तलाशी में बंदी से एक चार्जर व 01 सिम बरामद किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 19.06.2018 को 07 दिवस मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा हत्या के साथ डकैती जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 33 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है एवं बंदी माननीय जे:एम. गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 197/2015 एवं माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 150/2018 पुलिस थाना बीछवाल में अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम में भी वांछित है।

अतः बंदी द्वारा किये गये अपराध की गहनता, आपराधिक संलिप्तता एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र धर्मपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

174. **ठाकुरसिंह पुत्र जवाहरसिंह, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 11 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 64 वर्ष होने व लाचार होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। पूर्व में बंदी को खुला शिविर में उसके परिजनों द्वारा उसकी देखभाल करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया था, किंतु बंदी के परिजनों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बंदी को खुला बंदी शिविर से दिनांक 21.07.2018 को पुनः जेल दाखिल किया गया था। अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है। बंदी के परिजनों द्वारा खुला शिविर में देखभाल हेतु कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ठाकुरसिंह पुत्र जवाहरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

175. **श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक 09 वर्ष 11 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 22.03.2010 से दिनांक 01.04.2010 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 07.06.210 को पुनः जिला कारागृह, चूरू में दाखिल कराया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 06.12.2014 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 04.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 151/2015 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना सरदारशहर चूरू द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 456/2018 में गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.2018 को जिला कारागृह, चूरू में दाखिल कराया गया। बंदी 03 वर्ष 09 माह 18 दिवस पैरोल से फरार रहा है तथा बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, के कारण बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

176. **सांवरराम पुत्र बाबुलाल, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 10 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 28.10.2010 को रिहा कर दिनांक 06.12.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 23.08.2016 को पुलिस थाना डांगियावास द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 05 वर्ष 08 माह 17 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः बंदी द्वारा जेल नियमों की पालना न कर पैरोल से फरार होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सांवरराम पुत्र बाबुलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

177. **मानसिंह पुत्र खातु, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 10 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के माह नवंबर, 2017 से मार्च, 2018 तक निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित अवधि के रेमीशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण संतोषप्रद नहीं होने से उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मानसिंह पुत्र खातु** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

178. **दुल्हा सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 09 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 49/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 324/34, 326/34, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 16.09.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.एस.जे. मुक्तसर साहिब के प्रकरण संख्या 117/2008 अंतर्गत धारा 307, 392, 324, 186, 353, 332, 427, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 23.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं जे.एम. संख्या 01 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 87ए/2000 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 29.04.2015 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के एफ.आई.आर. संख्या 72/2008 अंतर्गत धारा 302, 341, 323/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुल्हा सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनामसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

179. **मुकेश पुत्र कालूलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 09 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश पुत्र कालूलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

180. **ऐजाज पुत्र निहालुद्दीन, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 09 माह 10 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी माननीय सी.जे.एम. बदायूं (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 463/2004 अंतर्गत धारा 356, 354 आई.पी.सी. में वांछित है, जिसमें बंदी जमानत पर है।

अतः अपराध की गंभीरता एवं अन्य प्रकरण में संलिप्तता को देखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ऐजाज पुत्र निहालुद्दीन** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

181. **सुनील पुत्र घासीराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 09 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 03.05.2011 को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 22.05.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर श्रीमान् विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन. डी.टी.एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 151/2015 पुलिस थाना बीछवाल द्वारा अंतर्गत धारा 11 (2) ख राजस्थान बंदी अधिनियम में जे.सी. वारंट सहित दिनांक 16.08.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 02 माह 25 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

दिनांक 05.05.2018 को तलाशी के दौरान बंदी से नोकिया फोन बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा उसे दिनांक 07.05.2018 को एक माह मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 153/2018 अंतर्गत धारा 344 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील पुत्र घासीराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

182. **बाबूराम पुत्र लच्छाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 08 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 21.05.2015 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 09.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 23.11.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 05 माह 14 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबूराम पुत्र लच्छाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

183. **शक्तिसिंह पुत्र हिम्मतसिंह, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 12.07.2006 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 10.08.2006 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमंद द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.02.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 10 वर्ष 06 माह 06 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार

वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शक्तिसिंह पुत्र हिम्मतसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

184. **चौथमल पुत्र छगनलाल, के.का. कोटा** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 08 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के माह जून, 2017 से मार्च, 2018 तक निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल द्वाश बंदी को 03 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण संतोषप्रद नहीं होने से उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चौथमल पुत्र छगनलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

185. **शंकरलाल पुत्र उदयलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 08 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा दिनांक 14.11.2018 को जबरन अपने वार्ड से अपने केसवार बंदी नवाब खां के साथ निकलने का प्रयास करने, ड्यूटी स्टाफ द्वारा रोकने पर बंदी के अन्य बंदियों को भड़काने, स्टाफ को धमकी देने एवं गाली–गलौच करने पर अधीक्षक जेल द्वारा उसे दिनांक 14.11.2018 को 04 दिवस का अर्जित परिहार समपहरण किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 07 कोटा के प्रकरण संख्या 4000/2016 अंतर्गत धारा 332, 353, 506/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र उदयलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

186. **नरेन्द्र उर्फ मुकेश पुत्र ब्रह्मसिंह, के.का. बीकानेरः–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

अधीक्षक जेल ने बंदी के जेलर श्री भारतभूषण भट्ट की हत्या करने के कारण बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। साथ ही बंदी को सेशन प्रकरण संख्या 24/2012 में आजीवन कारावास की सजा, जिसमें बंदी पूर्ण जीवनकाल तक जेल में रहेगा, से दण्ड़ित किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नरेन्द्र उर्फ मुकेश पुत्र ब्रह्मसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

187. **सहीराम पुत्र दीपाराम, उ.सु.का. अजमेर :–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 07 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

वर्तमान में बंदी उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर में सजा भुगत रहा है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सहीराम पुत्र दीपाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

188. **पटवारिया पुत्र मांगू, के.का. उदयपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 07 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376/149, 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार एवं डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पटवारिया पुत्र मांगू** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

189. **रूपसिंह उर्फ इफसिंह उर्फ दलसिंह पुत्र घासीसिंह, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 06 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 392, 397/34 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा पूर्ण नहीं हुई है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा हत्या के साथ डकैती जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 38 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति, आपराधिक संलिप्तता एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रूपसिंह उर्फ इफसिंह उर्फ दलसिंह पुत्र घासीसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

190. **योगेश कुमार पुत्र बेनूराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 06 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.06.2017 को रिहा कर दिनांक 29.06.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 15.08.2017 को पुलिस थाना घानमण्डी उदयपुर द्वारा गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, उदयपुर के प्रकरण संख्या 83/2017 अंतर्गत धारा 381 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी हैं

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी योगेश पुत्र बेनूराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

191. **लाला पुत्र मोहन उर्फ चन्देरिया, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 05 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376/149, 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार एवं डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है तथा बंदी द्वारा खुला शिविर में नहीं जाने हेतु प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लाला पुत्र मोहन उर्फ चन्देरिया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

192. **राजू उर्फ दीपक पुत्र बैजनाथ, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 05 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 एवं 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 17 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 26 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों मे शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ दीपक पुत्र बैजनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

193. **जितेन्द्रसिंह पुत्र गोपाल राम, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 08.02.2018 से 19.03.2018 तक 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 08.06.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर द्वारा माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3 के प्रकरण संख्या 110/2018 अंतर्गत धारा 58 (बी) राज. कारागार अधिनियम में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त कृत्य के दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षक जेल ने बंदी को दिनांक 08.06.2018 को 02 माह तक रेमीशन सिस्टम से पृथक् रखने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण पर विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का कार्य व आचरण संतोषप्रद नहीं होने से उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जितेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल राम** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

194. **साहबराम पुत्र दानाराम, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 05 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 38 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी साहबराम पुत्र दानाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

195. **सिराज अहमद उर्फ नसीरूद्धीन पुत्र रहीम बक्स उर्फ बोदू खां, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 05 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 11.09.2001 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 20.10.2001 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 13.10.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना लालकोठी जयपुर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 16 वर्ष 11 माह 23 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सिराज अहमद उर्फ नसीरूद्धीन पुत्र रहीम बक्स उर्फ बोदू खां** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

196. **संदीप पुत्र हवा सिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 34 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संदीप पुत्र हवा सिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

197. **कालूनाथ उर्फ रमेशनाथ पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 एवं 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 21 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 31 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालूनाथ उर्फ रमेशनाथ पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

198. **मोहन सिंह उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में बंदी को दिनांक 17.07.2018 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 05.08.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल

से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 185/2018 अंतर्गत धारा 58 (ख) (2) राजस्थान बंदी अधिनियम के तहत दर्ज करायी गई, जिसे बाद फरारी श्रीमान् महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 09 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 620/2018 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस थाना करधनी द्वारा दिनांक 30.08.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन सिंह उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

199. **अमिताभ नाथ उर्फ झांझेरा पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 एवं 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की हैं। बंदी 04 अन्य प्रकरणों में वांछित भी है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति, आयु एवं संलिप्तता को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अमिताभ नाथ उर्फ झांझेरा पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

200. **सुरेश नाथ उर्फ पप्पू उर्फ जितेन्द्र नाथ पुत्र रतन नाथ, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

95

बंदी को अंतर्गत धारा 396 एवं 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी अन्य प्रकरणों में वांछित भी है।

बंदी द्वारा 21 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति, आयु एवं संलिप्तता को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश नाथ उर्फ पप्पू उर्फ जितेन्द्र नाथ पुत्र रतन नाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

201. **सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचंद, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 27 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचंद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

202. **बापूनाथ पुत्र कालूनाथ उर्फ रामनाथ, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को पृथक्–पृथक् प्रकरणों में अंतर्गत धारा 396, 460 आई.पी.सी. एवं 395, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में पृथक्–पृथक् आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह–भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा बंदी अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूनाथ पुत्र कालूनाथ उर्फ रामनाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

203. **शिवलाल पुत्र प्यारा, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.09.2014 को रिहा कर दिनांक 05.10.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। दिनांक 25.12.2016 को पुलिस थाना सूरजपोल उदयपुर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 02 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी माननीय ए.डी.जे. प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 62/2016 अंतर्गत धारा 147, 341, 323, 307, 384, 458 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवलाल पुत्र प्यारा** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

204. **गाबू पुत्र लक्ष्मण, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2017 को अन्य बंदियों को बैरिक में झगड़ा करने हेतु बरगलाने, स्टाफ के साथ झगड़ा करवाने का प्रयास करने पर अधीक्षक जेल ने बंदी को भविष्य में अनुशासन एवं सदाचरण से रहने की चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार

वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा अपहरण एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गाबू पुत्र लक्ष्मण** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

205. **वोपारिया उर्फ पप्पू पुत्र मोहन उर्फ चन्देरिया, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 04 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376/149, 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार एवं डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा बंदी की स्थाई पैरोल स्वीकृत की जा चुकी है, किंतु जमानत तस्दीक कराने के अभाव में बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी वोपारिया उर्फ पप्पू पुत्र मोहन उर्फ चन्देरिया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

206. **बालचंद पुत्र श्री हीरालाल, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 03 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 31.10.2007 को रिहा कर दिनांक 19.11.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे जिला कारागृह, झालावाड़ से प्राप्त होने

पर दिनांक 29.12.2016 को पुनः जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में पैरोल से फरार होने से उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा वर्तमान में बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालचंद पुत्र हीरालाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

207. **मोतीलाल पुत्र ग्यारसीलाल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 03 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के माह सितंबर, 2016 में अधिकांश, माह अक्टूबर, 2016, माह दिसंबर, 2016 में जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने एवं माह नवंबर, 2016 में जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा उसका 03 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख) के तहत पात्र नहीं है।

अतः बंदी द्वारा जेल नियमों की पालना न कर जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोतीलाल पुत्र ग्यारसीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

208. **रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल, जि.का. झालावाड़** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 03 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय विशेष न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) (म.प्र.) के प्रकरण संख्या 26/2005 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 18.06.2007 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 44/2007 अंतर्गत धारा 8/18, 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 20.02.2009 को 11 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् ए.सी.जे.एम. अकलेरा (झालावाड़) के प्रकरण संख्या 180/2004 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.12.2010 को 01 वर्ष कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

209. **अशोक पुत्र मूल्याराम, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 03 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 29 वर्ष होने से युवा है तथा बंदी की मानसिक को ध्यान में रखते हुए उसे खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी अशोक पुत्र मूल्याराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

210. **मुस्तफा पुत्र महबूब खां, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 03 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (2) (ड), 392, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप, गर्भवती महिला से बलात्कार, राजमार्ग पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच के समय लूट एवं लूट के दौरान घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुस्तफा पुत्र महबूब खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

211. **शंकरलाल पुत्र गांगजी, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 02 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 273/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई। पुलिस थाना जैतसर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 05.11.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र गांगजी** को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

212. **अर्जुन उर्फ कन्नीया पुत्र भंवरलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 02 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। वर्तमान में प्रतिबंधित धारा की सजा भी पूर्ण नहीं हुई है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा राजमार्ग पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच के समय लूट कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अर्जुन उर्फ कन्नीया पुत्र भंवरलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

213. **सुभाष पुत्र दौलतराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 02 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 06 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 13/2006 अंतर्गत धारा 380, 457 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 574/1998 अंतर्गत धारा 379, 447 आई.पी.सी. में दिनांक 16.01.2006 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 240/2006 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 05.03.2008 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा के प्रकरण संख्या 346/2002 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 08.04.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
5. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, भादरा के प्रकरण संख्या 19/2006 अंतर्गत धारा 302, 397, 460 आई.पी.सी. में दिनांक 22.12.2008 को मृत्युदण्ड (अपील में आजीवन कारावास) प्रभावी 06.05.2013
6. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–02 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 176/2014 अंतर्गत धारा 332, 353, 147 आई.पी.सी. में दिनांक 13.03.2015 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को दिनांक 03.01.2018 को 30 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 01.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 84/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी के दिनांक 02.02.2018 को स्वयं उपस्थित होने पर जेल दाखिल किया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी को चोरी, हत्या व राजकार्य में बाधा के प्रकरणों में दण्डित किया गया है।

अतः आपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुभाष पुत्र दौलतराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

214. **छोटू सिंह पुत्र मेहताब, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार व मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छोटूसिंह पुत्र मेहताब** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

215. **दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 एवं 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 26 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 39 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

216. **रतनलाल पुत्र पोखर लाल, के.का. अजमेर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी रतनलाल पुत्र पोखरलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

217. **सुधीर पुत्र चन्द्रिका, के.का. जयपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी सुधीर पुत्र चन्द्रिका** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

218. **मिखेल भुईया उर्फ राजू टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा अपहरण, बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मिखेल भुईया उर्फ राजू टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

219. **राजीव कुमार उर्फ राजू पुत्र मोतीसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। वर्तमान में प्रतिबंधित धारा की सजा भी पूर्ण नहीं हुई है।

बंदी द्वारा राजमार्ग पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच के समय लूट एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजीव कुमार उर्फ राजू पुत्र मोतीसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

220. **जावेद खां पुत्र इमाम खां, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा पूर्ण नहीं हुई है।

बंदी द्वारा डकैती जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 31 वर्ष होने से युवा है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी जावेद खां पुत्र इमाम खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

221. **मुकेश पुत्र गोपाल, जि.का. टोंक** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 28 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश पुत्र गोपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

222. **हनुमान प्रसाद पुत्र बुद्धराम उर्फ उदाराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (2) (ड), 392, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा गैंगरेप, गर्भवती महिला से बलात्कार, राजमार्ग पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच के समय लूट एवं लूट के दौरान घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हनुमान प्रसाद पुत्र बुद्धराम उर्फ उदाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

223. **लोकेश पुत्र गोपाल, जि.का. टोंक** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 26 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लोकेश पुत्र गोपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

224. **मुकेश पुत्र जगदीश, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। बंदी अन्य दो प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक संलिप्तता एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए **बंदी मुकेश पुत्र जगदीश** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

225. **देवा पुत्र भीमा, के.का. उदयपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 29.05.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 27.06.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सलूम्बर जिला उदयपुर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 27.08.2018 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी 09 वर्ष 02 माह पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवा पुत्र भीमा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

226. **कैलाशनाथ उर्फ चट्या पुत्र भोलानाथ के.का. भरतपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास व 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा डकैती एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 29 वर्ष होने से युवा है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी अन्य प्रकरणों में वांछित भी है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **बंदी कैलाशनाथ उर्फ चट्या पुत्र भोलानाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

227. **पवन पुत्र कुंवरपाल, के.का. जयपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 3 सीकर के एफ.आई.आर. संख्या 96/2010 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट।
2. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 02 सीकर के एफ.आई.आर. संख्या 07/2011 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. क्रम 01 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के प्रकरण संख्या 285/2008 अंतर्गत धारा 365, 368, 374, 506 आई.पी.सी. (इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है)

अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए **बंदी पवन पुत्र कुंवरपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

228. **मुकेश पुत्र गेंदाराम, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 11 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 29 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश पुत्र गेंदाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

229. **राजकुमार उर्फ राजू पुत्र फकीरचंद, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 11 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को चालान पर भेजे जाने से वर्तमान में बंदी केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में निरूद्ध नहीं है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र फकीरचंद्र** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

230. **बबलू उर्फ बलवीर उर्फ रूपसिंह पुत्र भरती उर्फ भरतलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 11 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397/34 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। वर्तमान में बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा पूर्ण नहीं हुई है।

बंदी द्वारा लूट के दौरान घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बबलू उर्फ बलवीर उर्फ रूपसिंह पुत्र भरती उर्फ भरतलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

231. **भगवानाराम पुत्र किशनाराम, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 11 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अन्य प्रकरण में मंदसौर (म.प्र.) में विचाराधीन है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भगवानाराम पुत्र किशनाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

232. **प्रतापनाथ उर्फ मोहननाथ पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 11 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास व 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा डकैती एवं घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रतापनाथ उर्फ मोहननाथ पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

233. **इलियास उर्फ साजन पुत्र मेहबूब खां, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी इलियास उर्फ साजन पुत्र मेहबूब खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

234. **संजय सिंह उर्फ शालू पुत्र पृथ्वीपाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी के माह जनवरी, 2017 से मार्च, 2018 तक जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 19.05.2018 को अनुपस्थित अवधि के रेमीशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संजय सिंह उर्फ शालू पुत्र पृथ्वीपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

235. **आनन्द सोनी पुत्र सुखराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आनन्द सोनी पुत्र सुखराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

236. **गोविन्दराम पुत्र गंगाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोविन्दराम पुत्र गंगाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

237. **सोनू उर्फ सोहन लाल पुत्र सतपाल, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतयां एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 32 वर्ष होने से युवा है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोनू उर्फ सोहनलाल पुत्र सतपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

238. **नवनीत शर्मा पुत्र सुरेन्द्र कुमार, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 29 वर्ष होने से युवा है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नवनीत शर्मा पुत्र सुरेन्द्र कुमार** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

239. **सुजान पुत्र अमरलाल, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 19.08.2007 को रिहा कर दिनांक 07.09.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 03.08.2016 को पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी लगभग 09 वर्ष पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी

खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुजान पुत्र अमरलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

240. **राजेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजू पाण्डेय उर्फ कप्तान पुत्र देवीशंकर पाण्डेय उर्फ देवशंकर, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी दो अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजू पाण्डेय उर्फ कप्तान पुत्र देवीशंकर पाण्डेय उर्फ देवशंकर** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

241. **मुकेश उर्फ मुक्का पुत्र हीरजी, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 09 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 396, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा घातक आयुध का प्रयोग करके डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश उर्फ मुक्का पुत्र हीरजी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

242. **अशोक कुमार पुत्र अमरलाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संगरूर (पंजाब) के प्रकरण संख्या 61/1997 अंतर्गत धारा 18/61/85 एन.डी.पी. एस. एक्ट में विचाराधीन है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार पुत्र अमरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

243. **हेमराज उर्फ बागरिया पुत्र गोपाल, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 05 निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 52/2011 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2014 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय जे.एम. बामनवास के प्रकरण संख्या 202/2006 अंतर्गत धारा 327 आई.पी.सी. में दिनांक 31.10.2014 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. 09 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 846/2013 अंतर्गत धारा 42 प्रिजन एक्ट में दिनांक 19.01.2018 को 06 माह साधारण कारावास।
4. माननीय ए.सी.जे.एम. 19 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 483/2007 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 04.01.2016 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
5. माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 02 लालसोट के प्रकरण संख्या 105/2013 अंतर्गत धारा 379, 411 आई.पी.सी. में दिनांक 08.06.2018 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

15

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हेमराज उर्फ बागरिया पुत्र गोपाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

244. **सरबजीत सिंह पुत्र निसातर सिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 09 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा हत्या के साथ डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों मे शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सरबजीतसिंह पुत्र निसातर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

245. **विनीत उर्फ टिंकू पुत्र रोडीलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 09 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा स्वेच्छा से खुला बंदी शिविर में जाने का इच्छुक नहीं है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनीत उर्फ टिंकू पुत्र रोडीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

246. **गिर्राज पुत्र रामकिशन, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठौर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गिर्राज पुत्र रामकिशन** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

247. **हरिराम पुत्र ओमप्रकाश, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरिराम पुत्र ओमप्रकाश** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

248. **गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 08 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 22.07.2009 को रिहा कर दिनांक 10.08.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.06.2016 को पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 10 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर में हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में पैरोल से फरार होने से उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा वर्तमान में बंदी अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

249. **भगवानसिंह पुत्र राजूसिंह, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 08 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 29 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भगवानसिंह पुत्र राजूसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

250. **दिलपा उर्फ दिलीप पुत्र शंकरलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 08 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 26 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिलपा उर्फ दिलीप पुत्र शंकरलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

251. **लड्डू गोपाल पुत्र बाबूलाल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (सी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लड्डू गोपाल पुत्र बाबूलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

252. **सलामू उर्फ सलाम पुत्र बुद्धी, के.का. अलवर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सलामू उर्फ सलाम पुत्र बुद्धी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

253. **संजय कुमार पुत्र रतनलाल, के.का. बीकानेर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 12.09.2017 को राशन स्टोर से चाय एवं गुड़ बिना स्वीकृति के बैरिक में ले जाते हुए पकड़े जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा 01 माह मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 31.05.2018 को रात्रि वार्ड नं. 06 की 23 की तलाशी के दौरान बंदी से सैमसंग कम्पनी का फोन मय सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 01.06.2018 को एक माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिये गये जेलदण्ड को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है। साथ ही बंदी एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संजय कुमार पुत्र रतनलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

254. **रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र शंकर लाल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत ख़ुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र शंकर लाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

255. **जगदीश पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामूराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, श्रीगंगानगर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 09.09.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जवाहर नगर (श्रीगंगानगर) में एफ.आई.आर. संख्या 512/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना जवाहर नगर द्वारा दिनांक 11.09.2018 को गिरफ्तार कर माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 02 श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा बंदी को 10,000/–रूपये के निजी मुचलकें पर छोड़ा गया।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। उक्त घटना को अभी 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामूराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

256. **रामगोपाल पुत्र नत्थुलाल, के.का. जोधपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामगोपाल पुत्र नत्थुलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

257. **अमित कुमार पुत्र कैलाश चन्द, के.का. भरतपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अमित कुमार पुत्र कैलाश चन्द** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

258. **शबनम उर्फ आरिफ पुत्र मेहबूब खान, जि.का. टोंक :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शबनम उर्फ़ आरिफ पुत्र मेहबूब खान** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

259. **बाबुलाल पुत्र नानूदीन, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबुलाल पुत्र नानूदीन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

260. **कैलाश थाकण पुत्र अमरचंद, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी भंवर सिनोदिया हत्याकाण्ड में दण्डित है तथा बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने पर विरोधी पक्ष उस पर कभी भी हमला कर सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश थाकण पुत्र अमरचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

261. **मोहम्मद अमीन पुत्र यासीन खां, के.का. श्रीगंगानगर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। वर्तमान में बंदी पैरोल से फरार चल रहा है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद अमीन पुत्र यासीन खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

262. **बाबुलाल पुत्र छोगाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 07 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 23.12.2009 को रिहा कर दिनांक 11.01.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 06.01.2017 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 11 माह 26 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबुलाल पुत्र छोगाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

263. **श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 06 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 14 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा घातक आयुध का प्रयोग कर डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 29 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों मे शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

264. **कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 06 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 04.04.2013 को रिहा कर दिनांक 23.04.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे थानाधिकारी, पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.06.2017 को पुनः जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

265. **भूरिया पुत्र प्रभु, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 06 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

कारागृह में बंदी द्वारा अन्य बंदियों के साथ झगड़ा करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 01.02.2017 को 01 माह के परिहार से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भूरिया पुत्र प्रभु** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के आचरण के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि रिपोर्ट में आचरण सही होता है उसे आगामी बैठक में रखकर निर्णय लिया जायेगा।

266. **हरपालसिंह उर्फ पप्पूसिंह पुत्र सुजानसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 05.10.2011 को रिहा कर दिनांक 24.10.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 27.10.2016 को पुनः जेल दाखिल करवाया गया। बंदी 04 वर्ष 04 माह 13 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 24.03.2017 को तलाशी के दौरान बंदी से 02 मोबाईल मय सिम कार्ड बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा न्यायालय निर्णय आने पर दण्ड पर विचार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरपालसिंह उर्फ पप्पूसिंह पुत्र सुजानसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

267. **रसूल पुत्र केशिया, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 396, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा घातक आयुध का प्रयोग करके डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रसूल पुत्र केशिया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

268. **हंसराज पुत्र कैलाशचन्द, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कासवास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हंसराज पुत्र कैलाशचन्द** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

269. **बलभाराम पुत्र घासीराम, उ.सु.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी भंवर सिनोदिया हत्याकाण्ड में दण्डित है तथा बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने पर विरोधी पक्ष उस पर कभी भी हमला कर सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलभाराम पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

270. **राजदिनेश पुत्र शिवसिंह, उ.सु.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर दिनांक 24.09.2015 को रिहा कर दिनांक 13.10.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे गिरफ्तार कर जिला कारागृह, करौली से दिनांक 24.04.2016 को पुनः जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी उच्च सुरक्षा कारागृह, में निरूद्ध है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजदिनेश पुत्र शिवसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

271. **शंकरलाल पुत्र जगदीश प्रसाद, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 57/2004 अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में दिनांक 28.09.2006 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 51/2016 अंतर्गत धारा 11 (2) (ख) राजस्थान बंदी अधिनियम 1960 में दिनांक 15.07.2017 को 09 माह साधारण कारावास।
3. माननीय सी.जे.एम. हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 312/2008 अंतर्गत धारा 229 ए आई.पी.सी. में दिनांक 11.02.2009 को 06 माह कारावास।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 15.10.2011 को रिहा कर दिनांक 03.11.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 11.10.2016 को पुनः जेल दाखिल करवाया गया। बंदी 04 वर्ष 11 माह 08 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी लाचार है व अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) (च) व (ज) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र जगदीश प्रसाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

272. **आलम पुत्र दीन मोहम्मद, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है तथा बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आलम पुत्र दीन मोहम्मद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

273. **मावा पुत्र लालू, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मावा पुत्र लालू** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

274. **किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय डी.जे. राजसमंद के प्रकरण संख्या 16/2011 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 05.06.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय जे.एम. राजसमंद के प्रकरण संख्या 460/2013 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2013 को 02 वर्ष कारावास।
3. माननीय जे.एम. राजसमंद के प्रकरण संख्या 200/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 02.06.2017 को 01 माह कारावास।

पूर्व में बंदी विचाराधीन अवधि के दौरान 02 बार पुलिस अभिरक्षा से दिनांक 19.03.2013 एवं 09.11.2013 को फरार हो गया था।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

275. **सलीम खां पुत्र अल्लादीन खां, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बांदीकुई जिला–दौसा के प्रकरण संख्या 19/2011 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में दिनांक 06.07.2016 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 18 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 17/2014 अंतर्गत धारा 399, 402 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.03.2017 को 06 वर्ष कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 03 मुरादाबाद (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 1528/2013 अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. में दिनांक 18.07.2017 को 05 वर्ष 03 माह 24 दिवस कारावास।

बंदी को 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सलीम खां पुत्र अल्लादीन खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

276. **अरूण जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 17 , 18, 18 बी, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत 14 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों के लिये धन इकट्ठा कर, आपराधिक गतिविधियों के लिए षड्यंत्र रचना, आतंकी गतिविधियों के लिए सदस्य बनाना जैसा देश विरोधी कृत्य कारित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अरूण जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

277. **देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शम्भुदयाल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शम्भुदयाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

278. **रामेश्वर उर्फ सेठ्ठी पुत्र धन्नालाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा दिनांक 02.01.2017 को अन्य बंदी के साथ झगड़ा करने एवं उसे चोट पहुंचाने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 02.01.2017 को 07 दिवस कक्ष परिरूद्ध रखे जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामेश्वर उर्फ सेठ्ठी पुत्र धन्नालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के आचरण के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से रिपोर्ट ली जावें। यदि बंदी का आचरण सही रहता है तो आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जावें।

279. **हीरालाल पुत्र भंवरलाल, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 27.07.2017 को रिहा कर दिनांक 25.08.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर दिनांक 26.08.2017 को जेल पर उपस्थित हुआ, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 27.08.2018 को चेतावनी से दण्डित किया गया। बंदी को पुनः जेल दाखिल हुए 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरालाल पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

280. **अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी निम्नांकित प्रकरणों में वांछित है :–

1. माननीय जे.एम. चौहटन के प्रकरण संख्या 191/2012
2. माननीय ए.सी.जे.एम. बाड़मेर के प्रकरण संख्या 112/2013 इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

281. **किशनाराम पुत्र जयकिशन, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को 05 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 06.02.2018 को रिहा कर दिनांक 10.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुनः गिरफ्तार कर दिनांक 15.04.2018 को जेल दाखिल कराया गया। साथ ही बंदी फरारी प्रकरण एवं एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशनाराम पुत्र जयकिशन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

282. **वज्जाराम पुत्र थावरा, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी वज्जाराम पुत्र थावरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

283. **हीरालाल पुत्र रामलाल उर्फ श्याम लाल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 03 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरालाल पुत्र रामलाल उर्फ श्याम लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

284. **बलकरण सिंह पुत्र लालसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 03 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.04.2018 को वार्ड प्रहरी द्वारा वॉर्ड नं. 03 की गश्त के दौरान बंदी से सैमसंग फोन मय सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 11.04.2018 को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलकरणसिंह पुत्र लालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

285. **रफीक पुत्र सरफुदीन, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 03 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. कैसेज), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2007 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 39 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बंदी के पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रफीक पुत्र सरफुदीन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

286. **मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद उमर उर्फ ममद, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 03 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 29.04.2018 को उपाधीक्षक जेल द्वारा गश्त के दौरान वार्ड नं. 09 में बंदी की गतिविधियां संदिग्ध लगने व जेल स्टाफ द्वारा तलाशी लेने पर बंदी की जेब से 01 नोकिया मोबाईल मय सिम व बैट्री बरामद करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 29.04.2018 को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद उमर उर्फ ममद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

287. **मुकेश कुमावत पुत्र बंशीधर, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 02 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा दिनांक 20.04.2018 को वार्ड नं. 06 की बैरिक संख्या 23 की गश्त के दौरान बंदी से सेमसंग कम्पनी का फोन मय सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 21.04.2018 को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा जेल नियमों की अवहेलना की गई है। वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 34 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश कुमावत पुत्र बंशीधर** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

288. **चेतनराम पुत्र रामसुखराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 02 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 03.06.2017 को दण्डित बंदी शंकरलाल पुत्र रूघाराम को उपचार हेतु पी.बी.एम. चिकित्सालय भिजवाते समय बंदी द्वारा गेट हवलदार, गेट में तैनात ड्यूटी स्टाफ के साथ गाली–गलौच, अभद्र व्यवहार करने, अधिकारी व कर्मचारियों की तपड़ी अंदर लगवाने, मीडिया बुलाने की धमकी देने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 03.06.2017 को 07 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चेतनराम पुत्र रामसुखराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

289. **अशोक पुत्र रामस्वरूप, जि.का. टोंक** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 02 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक पुत्र रामस्वरूप** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

290. **केवलसिंह पुत्र अजायबसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 03 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2012 (06/2008) अंतर्गत धारा 148, 452/149, 323/149, 325/149, 382/149, 365/149, 394/149, 307/149 आई.पी.सी. में दिनांक 24.09.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 44/2012 अंतर्गत धारा 148, 364/149, 326/149, 324/149, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 19.03.2014 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 37/2009 अंतर्गत धारा 3/25 (1–बी) (ए) आर्म्स एक्ट में दिनांक 19.08.2014 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी केवलसिंह पुत्र अजायबसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

291. **बाली पुत्र शिब्बी, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 02 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. कांमा के प्रकरण संख्या 1368/2013 प्र.सू.रि.संख्या 45/2006 पुलिस थाना कांमा, अंतर्गत धारा 16/54 एक्साईज एक्ट में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाली पुत्र शिब्बी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

292. **गौतमचंद पुत्र उदाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय जे.एम. बाड़मेर के प्रकरण संख्या 354/2015 में दिनांक 30.08.2018 को जमानत जब्त है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गौतमचंद पुत्र उदाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

293. **मनोहरसिंह पुत्र मदनसिंह, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 12/2010 अंतर्गत धारा 8/18, 25 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी माननीय न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर के प्रकरण संख्या 223/2005 पुलिस थाना नोखा में विचाराधीन भी है।

बंदी की वर्तमान में आयु 44 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनोहरसिंह पुत्र मदनसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

294. **कन्हैयालाल पुत्र धनराज सोनी, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 12/2010 अंतर्गत धारा 8/18, 25 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 42 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कन्हैयालाल पुत्र धनराज सोनी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

295. **विपिन उर्फ विवेक उर्फ विका पुत्र धन्ना, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विपिन उर्फ विवेक उर्फ विका पुत्र धन्ना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

296. **दौलाराम पुत्र रामेश्वरलाल, के.का. अजमेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दौलाराम पुत्र रामेश्वरलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

297. **दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशन लाल, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशन लाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

298. **सतीश उर्फ लीलू पुत्र सत्यपाल, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सतीश उर्फ लीलू पुत्र सत्यपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

299. **दिनेश कुमार उर्फ धन्नाराम पुत्र रामेश्वर प्रसाद, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 03 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली (जयपुर) के प्रकरण संख्या 04/2012 अंतर्गत धारा 302, 120बी, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 16.06.2016 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 332/2011 अंतर्गत धारा 19/54 एक्सा. एक्ट में दिनांक 16.06.2016 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. कोटपूतली के प्रकरण संख्या 02/2006 अंतर्गत धारा 16/54 एक्सा. एक्ट में दिनांक 27.11.2017 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिनेश कुमार उर्फ धन्नाराम पुत्र रामेश्वर प्रसाद** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

300. **कैलाश पुत्र कानजी, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 30.06.2016 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 19.07.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। पुलिस थाना सूरजपोल उदयपुर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 16.04.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी को फरारी प्रकरण में माननीय सी.जे.एम. उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 4722/2017 अंतर्गत धारा 11 (2) ख कारागार संशोधित अधिनियम 2015 में दण्डित किया जा चुका है। बंदी को अंतर्गत धारा 436/34 आई.पी.सी. में दी गई 05 वर्ष की सजा समाप्त हो चुकी है। बदी को पुनः जेल दाखिल हुए 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र कानजी** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

301. **विष्णुप्रकाश पुत्र छीतरमल, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2011 अंतर्गत धारा 8/20 (सी) एन.डी. पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 49 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विष्णुप्रकाश पुत्र छीतरमल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

302. **कालू उर्फ हनुमान पुत्र रामजीलाल, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में माह फरवरी, 2014, मार्च, 2014, माह जुलाई, 2014 से नवंबर, 2014 व मई, 2015 तथा अक्टूबर, 2015 से जुलाई, 2016 तक, माह जून, 2017 में आवंटित कार्य से कम कार्य किया गया तथा माह जून, 2014, जुलाई, 2017 एवं माह सितंबर,

2017 में जेल उद्योगशाला में कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालू उर्फ हनुमान पुत्र रामजीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

303. **रविन्द्र सैनी पुत्र मस्ताराम उर्फ महेशचंद सैनी, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 26 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रविन्द्र सैनी पुत्र मस्ताराम उर्फ महेशचंद सैनी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

304. **शानी उर्फ नियामत पुत्र लियाकत अली, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी किये गये अपराध में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 01 कोटा द्वारा मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है तथा मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शानी उर्फ नियामत पुत्र लियाकत अली** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

305. **मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (झ), (ड) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा गर्भवती महिला से बलात्कार कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये माननीय न्यायालय द्वारा भी उसे शेष प्राकृत जीवनकाल तक की सजा से दण्डित किया गया है, के कारण उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

306. **युवराज उर्फ सोनू पुत्र रणजीतसिंह, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी युवराज उर्फ सोनू पुत्र रणजीतसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

307. **शेरसिंह उर्फ शेरू पुत्र रोहिताश, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 28 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शेरसिंह उर्फ शेरू पुत्र रोहिताश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

308. **शंकरसिंह पुत्र नाथूसिंह, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्रता नहीं रखता है तथा बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरसिंह पुत्र नाथूसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

309. **विजेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2017 तक 07 वर्ष 11 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 33 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

310. **भरत शर्मा पुत्र रामचन्द्र, के.का. कोटा** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के माह अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 तक जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने, बंदी से अनुपस्थिति का कारण पूछे जाने पर बीमार बताने एवं चिकित्सक द्वारा बंदी को कार्य हेतु फिट बताये जाने, इस प्रकार बंदी के उद्योगशाला न जाने का बहाना बनाये जाने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 19.05.2018 को अनुपस्थित अवधि के रेमीशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भरत शर्मा पुत्र रामचन्द्र** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

311. **रामूराम उर्फ रामू पुत्र साहबराम, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामूराम उर्फ रामू पुत्र साहबराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

312. **उम्मेदाराम पुत्र मंगलाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी उम्मेदाराम पुत्र मंगलाराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

313. **सलीम उर्फ वाहिद पुत्र हनीफ खां, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी द्वारा डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 38 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर के एक अन्य प्रकरण संख्या 139/2011 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता एवं अधीक्षक जेल द्वारा की गई प्रवंदना को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सलीम उर्फ वाहिद पुत्र हनीफ खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

314. **दलजीतसिंह पुत्र दयालसिंह, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 10 माह 24 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 27/1998 अंतर्गत धारा 135 कस्टम एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है जिसकी सजा दिनांक 03.11.2014 को समाप्त हो चुकी है तथा बंदी द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करा दी गई है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 37/1993 अंतर्गत धारा 8/21, 8/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। जिसकी सजा दिनांक 04.11.2014 से प्रभावी हुई है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजा के विरूद्ध लगभग 08 वर्ष 03 माह की सजा ही भुगती है तथा बंदी की वर्तमान में आयु 43 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **दलजीतसिंह पुत्र दयालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

315. **गणेशाराम पुत्र चुन्नीलाल, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 10 माह 21 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी माननीय सी.एम.एम. जोधपुर के प्रकरण संख्या 1292/2016 में विचाराधीन है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गणेशाराम पुत्र चुन्नीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

316. **मनोज उर्फ अजय कुमार पुत्र ताराचंद, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 10 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनोज कुमार उर्फ अजय कुमार पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

317. **जोशनाथ पुत्र रामनाथ, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 10 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दी गई सजा पूर्ण हो चुकी है। पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 09.06.2015 को रिहा कर दिनांक 28.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 25.07.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी 02 वर्ष 26 दिवस पैरोल से फरार रहा है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी माननीय सी.एम.एम. जोधपुर के प्रकरण संख्या 283/2016 में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोशनाथ पुत्र रामनाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

318. **समुन्दरलाल पुत्र मोतीलाल, के.का. अजमेर :–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने के कारण बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुले शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा वर्तमान में पूर्ण नहीं हुई है।

बंदी द्वारा गृह–भेदन कर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी की वर्तमान में आयु 36 वर्ष होने से युवा है, ऐसी स्थिति में बंदी के खुला शिविर से फरार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए **बंदी समुन्दरलाल पुत्र मोतीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

319. **पवन कुमार मीणा उर्फ राज मीणा पुत्र झांझूराम, के.का. जयपुर :–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा माह जनवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य नहीं किया गया तथा माह अगस्त, 2017 से दिनांक 20.02.2018 तक निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवन कुमार मीणा उर्फ राज मीणा पुत्र झांझूराम** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

320. **कालू खां पुत्र अल्लादित्ता, के.का. जयपुर :–** बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालू खां पुत्र अल्लादित्ता** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

321. **मौसम खां पुत्र नवाबी उर्फ नवाब, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दो अलग–अलग प्रकरणों में अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. एवं 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10–10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी द्वारा प्रथम प्रकरण की सजा भुगती जा रही है, द्वितीय प्रकरण की सजा अभी प्रारंभ नहीं की गई है, के कारण अधीक्षक जेल नें बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा दो बार डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 31 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता एवं अधीक्षक जेल द्वारा की गई प्रवंदना को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मौसम खां पुत्र नवाबी उर्फ नवाब** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

322. **गुन्ना उर्फ गनी उर्फ रामवीर पुत्र सरदारसिंह, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 27 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुन्ना उर्फ गनी उर्फ रामवीर पुत्र सरदारसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

323. **सत्यवीर पुत्र रामकरण, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 31 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सत्यवीर पुत्र रामकरण** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

324. **अशोक सिंह पुत्र जगदीश सिंह, के.का. जयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा माह दिसंबर, 2016 में जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य से कम कार्य किया गया तथा माह अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2017 तक अधिकांश कार्य नहीं किया गया तथा शेष दिन कम कार्य किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक सिंह पुत्र जगदीश सिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

325. **जगदीश पुत्र रामरतन, के.का. उदयपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 07 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 54/2011 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 27 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बंदी के पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र रामरतन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

326. **अल्ली उर्फ अली मोहम्मद पुत्र रूद्दार, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 09 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 27.11.2014 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 16.12.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 17/2016 दर्ज करवायी गई। बंदी को दिनांक 15.08.2017 को पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 07 माह 29 दिवस पैरोल से फरार रहा है। अधीक्षक जेल ने बंदी के नियत समय पर जेल दाखिल नहीं होने के फलस्वरूप 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 03 (ग) (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अल्ली उर्फ अली मोहम्मद पुत्र रूद्दार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

327. **धीरसिंह उर्फ धीरेन्द्र पुत्र प्रीतमसिंह, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धीरसिंह उर्फ धीरेन्द्र पुत्र प्रीतमसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

328. **महेश पुत्र राजाराम, के.का. भरतपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 435/149, 436/149 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः 05 वर्ष व 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेश पुत्र राजाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

329. **घनश्याम पुत्र शोभाराम, के.का. जोधपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, मंदसौर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 26/2009 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा माननीय एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख 266/2011 में विचाराधीन भी है।

बंदी की वर्तमान में आयु 35 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बंदी के पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घनश्याम पुत्र शोभाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

330. **किशनलाल पुत्र रामलाल, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशनलाल पुत्र रामलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

331. **विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328/120बी, 395/120बी एवं 396/120बी आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा मात्र 27 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति, आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

332. **विजय पुत्र राजमोहन, के.का. जयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगतो है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) कैसेज, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2011 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा माह मार्च, 2016 से जून, 2016 तक जेल उद्योगशाला में कार्य नहीं करने, माह जुलाई, 2016 व अगस्त, 2016 में अधिकांशतः जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व शेष दिवस कार्य नहीं करने, माह जनवरी, 2017 से अक्टूबर, 2017 तक निरंतर कार्य नहीं करने, अधिकांशतः अनुपस्थित रहने एवं माह जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक अधिकांशतः अनुपस्थित रहने व शेष दिवस कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ख) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी की वर्तमान में आयु 33 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बंदी के पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय पुत्र राजमोहन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

333. **देवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र बोयेलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा मात्र 27 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह–भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र बोयेलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

334. **रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, के.का. उदयपुर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 42/2000 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 12.02.2006 को पेशी हेतु जिला कारागृह, प्रतापगढ़ भिजवाया गया था, बाद पेशी पुनः दिनांक 19.02.2006 को पुलिस गार्ड की अभिरक्षा से फरार हो गया, जिसे दिनांक 23.09.2016 को जिला कारागृह, प्रतापगढ़ से पुनः केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर पर प्राप्त हुआ। बंदी 10 वर्ष 06 माह पुलिस अभिरक्षा से फरार रहा है। बंदी को फरारी प्रकरण में दण्डित किया जा चुका है तथा बंदी अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी की वर्तमान में आयु 37 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता, पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने तथा फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

335. **ईश्वर पुत्र गंगाराम, के.का. अलवर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (1), 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः 10 वर्ष कठोर कारावास व आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ईश्वर पुत्र गंगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

336. **महेन्द्र पुत्र मोड़ा, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने के कारण बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा वर्तमान में पूर्ण नहीं हुई है।

बंदी द्वारा गृह–भेदन कर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी की वर्तमान में आयु 34 वर्ष होने से युवा है, ऐसी स्थिति में बंदी के खुला शिविर से फरार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र पुत्र मोड़ा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

337. **दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 31 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह–भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 37 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है एवं बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

338. **भोला उर्फ पप्पू पुत्र जयप्रकाश, के.का. बीकानेर** :– बंदी ने दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह–भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 26 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भोला उर्फ पप्पू पुत्र जयप्रकाश** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेषित प्रकरण :–

1. **शिवलाल पुत्र उकाजी, के.का. जोधपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय सैशन न्यायाधीश, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 05/2007 अंतर्गत धारा 376 (1) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी द्वारा कारित अपराध का संक्षिप्त विवरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

2. **ज़ारा उर्फ ज्ञानसिंह पुत्र बाबूलाल, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 04 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का पूर्ण विवरण एवं उनकी अद्यतन रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

3. **बृजेश कुमार पुत्र रामश्रंगार, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 08 वर्ष 03 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा प्रकरण में बंदी की आयु 25 वर्ष बताई गई है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी की आयु के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर से पूर्ण विवरण प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

4. **केशरसिंह पुत्र भैंरूसिंह, के.का. अजमेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 11 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का पूर्ण विवरण प्रेषित नहीं किया गया है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का पूर्ण विवरण एवं उनकी अद्यतन रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

5. **पानसिंह पुत्र शिवचरण, के.का. भरतपुर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 07 वर्ष 08 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का पूर्ण विवरण प्रेषित नहीं किया गया है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का पूर्ण विवरण एवं उनकी अद्यतन रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
सहायक निदेशक, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार–द्वितीय राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार–प्रथम राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।